दिसम्बर 1980

संपादकीय

योजनाबद्ध विकास के लाभ जनसंख्या वृद्धि न लील पाए

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। चाहे औद्योगिक उत्पादन हो या अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीकी शिक्षा हो या परमाणुशक्ति का शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग, दूरसंचार हो या स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था, सभी क्षेत्रों में देश ने योजनाबद्ध और प्रभावी ढंग से आगे कदम बढ़ाए हैं। यह निर्विवाद तथ्य है कि विकासशील देशों में जितनी सर्वांगपूर्ण प्रगति हमारे देश ने की है, किसी अन्य ने नहीं।

किन्तु तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। कृषि, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक उत्पादन आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रशंसनीय उन्नति के बावजूद देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी का उन्मूलन नहीं हो पाया है, जीवनयापन जटिल से जटिलतर होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों?

इसका एकमात्र और यथार्थ उत्तर है हमारी जनसंख्या में बड़ी तेज रफ्तार से हो रही बढ़ोतरी। इस बढ़ोतरी का भी विडम्बनापूर्ण कारण है स्वास्थ्य सेवाओं का असाधारण विकास, जिसकी वजह से मृत्यु दर में तो उल्लेखनीय कमी हुई है पर जन्म दर पर अंकुश नहीं लगा है। नतीजा यह है कि हर साल एक नया आस्ट्रेलिया हमारी आबादी में जुड़ रहा है।

हमारी आबादी में सुरसा की तरह हो रही इस अनपेक्षित वृद्धि ने योजनाबद्ध विकास के सब लाभों को लील लिया है। इसी के कारण प्रगति के सब आंकड़े अर्थहीन लगने लगे हैं। इसी कारण वह सब हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था यानी भोजन, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा आदि की समस्या।

अब अगर हम जनसंख्या की इस अंधाधुंध वृद्धि पर काबू पा लें और किसी प्रकार मृत्यु दर को जन्म दर के समकक्ष लाने में सफल हो जाएं, तो हमारी सब समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। पर यह तभी संभव है, जब प्रत्येक देशवासी परिवार नियोजन के मर्म को समझे, उस पर दृढ़ता से अमल करे और अपने परिवार को छोटे से छोटा रख उसे सुखी बनाए।

अब समय आ गया है कि हम संतान को ईश्वर की देन समझने वाले संस्कारों को त्याग कर प्रकृति की अद्भुत भेंट जीवन को सुन्दरतम बनाएं न कि इसे जनसंख्या वृद्धि के अभिशाप से ग्रस्त करें। ग्रामीण भारत को भी 'छोटा परिवार—सुखी परिवार' संदेश अपनाकर देश-निर्माण में सदा की तरह अपना योग देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। □

मज़दूर मंज़िल

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण पुनर्निर्माण का प्रमुख मासिक

वर्ष 26 **अग्रहायण–पौष 1902** **अंक 2**

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

●

एक प्रति 1 रु० : वार्षिक चंदा 10 रु०

●

दूरभाष : 382406

सम्पादक : देवेन्द्र भारद्वाज

उपसम्पादक : कु० शशि चावला

आवरण पृष्ठ : परमार

इस अंक में : **पृष्ठ संख्या**

प्रधानमंत्री की दूरदर्शन पर भेंट वार्ता 2

सरकार की दिशा स्पष्ट और फैसलों में तेजी 4
श्रीमती इन्दिरा गांधी

विकास कार्यों और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए संचार टेक्नालाजी महत्वपूर्ण 7
श्री वसंत साठे

गोबर गैस और ग्राम विकास 10
प्रदीप चतुर्वेदी

थ्रेशर : दुर्घटना रोकना आसान 12
डा० आनन्द जैन

राष्ट्रीय जीवन में सहकार भावना आवश्यक 14
श्रीमती इन्दिरा गांधी

समग्र ग्राम विकास योजना 15
राव वीरेन्द्र सिंह

राजस्थान में मंडी नियमन 16
डा० महेन्द्र मधुप

कृषि-ऋण की नवीन नीति क्या हो ? 18
जे० एस० गुप्ता

ग्रामीण आत्मा को कैसे पहचानें 19
ताजबर सिंह रावत

सोलन में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत अनुकरणीय कार्य 32
सुनीता मुखर्जी

स्थायी स्तम्भ

केन्द्र के समाचार : कहानी : कविता : साहित्य समीक्षा आदि।

परिवार नियोजन

बच्चे के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना माता और परिवार के लिए

प्र० : प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को कितना महत्व देती है?

उ० : समूचे विश्व में हमारी सरकार ने ही सबसे पहले इस कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम के रूप में हाथ में लिया। इसी से पता चल जाता है कि हमारी सरकार इसे कितना महत्वपूर्ण मानती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश की आबादी में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। जितनी जनसंख्या आस्ट्रेलिया की है उतनी जनसंख्या हमारे यहां प्रति वर्ष बढ़ जाती है।

प्र० : महोदया, जनसंख्या वृद्धि दर को उचित सीमा तक नियंत्रित करने में यदि सफलता नहीं मिल पाती तो देश की आर्थिक सक्षमता का आपके विचार में और क्या विकल्प हो सकता है?

उ० : निस्संदेह दोनों दृष्टियों से सही उत्तर है--विकास। पहली दृष्टि से इसलिए कि विकास से लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने तथा उनके लिए नए अवसर जुटाने में मदद मिलती है और दूसरी दृष्टि से इसलिए कि विकास से स्वतः ही परिवार छोटे होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग एक निश्चित जीवन स्तर प्राप्त कर लेते हैं, वे बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को बेहतर ढंग से समझते हैं, वे बच्चों के लिए उससे ज्यादा की कामना करते हैं जितना स्वयं उन्हें प्राप्त हुआ था और फलस्वरूप वे अपने आप ही परिवार को छोटा रखने की सोचते हैं। परंतु अंततः जनसंख्या वृद्धि की समस्या से हमें कई स्तरों पर निपटना है, केवल विकास के जरिए ही नहीं अपितु लोगों को समझा-बुझा कर भी इस उद्देश्य को प्राप्त करना होगा।

प्र० : क्योंकि अगर हम जनसंख्या वृद्धि दर को उचित सीमा तक नियंत्रित न कर पाए तो लोगों को विकास के लाभ ही नहीं मिल सकेंगे?

उ० : हां, यह स्थिति वास्तव में एक चक्र की तरह है। लेकिन पंजाब जैसे स्थानों का उदाहरण लीजिए जहां कृषि में प्रगति हुई है या औद्योगिक क्षेत्रों को लीजिए अथवा केरल को देखिए, जहां शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हुई है। इन स्थानों पर जन्म-दर घटी है।

प्र० : क्या आप यह कहना चाहती हैं कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि परिवार नियोजन मुख्यतः मौलिक अधिकार से जुड़ा है या स्त्री को अपना जीवन अपनी इच्छानुसार बिताने का हक मिलना चाहिए और यह भी कि बच्चा उस स्थिति में पैदा न हो, जिसमें उसे उपेक्षा के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है?

उ० : पिता को ही क्यों अलग रखा जाए? मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूं कि इसमें मानव अधिकार, विशेषकर नारी के अधिकार का पहलू अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे के जन्म और भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी उसी की है, पर शायद ही कभी उसकी राय जानने की कोशिश की जाती है और न ही उसके कल्याण की ओर ध्यान

दिया जाता है। दुर्भाग्यवश इस स्थिति का शिकार होता है बच्चा। आज के युग में बच्चे का जन्म मां और बाप दोनों की इच्छा से होना चाहिए, ताकि दोनों ही बच्चे के प्रति अपना उत्तरदायित्व महसूस करें और उसे उसका प्राप्य दे सकें।

प्र० : परंतु परिवार नियोजन के महत्व को देखते हुए क्या आप चाहेंगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा की भांति इस पर न्यूनतम राष्ट्रीय सहमति हो अर्थात् इसे दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाए और राष्ट्र के हित के लिए हममें राष्ट्रीय सहमति तैयार करने की इच्छा होनी चाहिए?

उ० : स्पष्टतः परिवार नियोजन जैसा विषय निश्चय ही किसी विवाद से परे रहना चाहिए। पर जैसा कि आपने पिछले वर्षों में देखा, कुछ ऐसे दल और ग्रुप भी हैं, जो इसके खिलाफ जोरदार प्रोपेगंडा करते रहे हैं। वे एक धर्म के लोगों से कहते रहे कि इससे उनका अस्तित्व मिट जाएगा और दूसरे धर्मवालों को यह बताते रहे कि उनकी संख्या कम हो रही है तथा वे मुसीबत में फंस जाएंगे। नसबंदी के खिलाफ जो प्रोपेगंडा किया गया सो अलग। जोर-जबरदस्ती में हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए हमारा विचार है कि लोगों को समझा-बुझा कर इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन लोगों को इस बारे में शिक्षित-प्रेरित करने का काम विशाल पैमाने पर किया जाना चाहिए और जब तक हर व्यक्ति इसके पक्ष में नहीं है तो इसमें बहुत लम्बा समय लगेगा तथा हो सकता है कि इसका उद्देश्य ही विफल हो जाए।

प्र० : परंतु यह जानते हुए कि पिछले कुछ वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रम में पूर्णतया प्रभावहीन प्रदर्शन रहा है, आपकी सरकार इस कार्यक्रम को पुनः प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहती है?

उ० : मेरे विचार में इस काम में सिर्फ इस कार्यक्रम को चलाने वाले विभाग को ही शामिल नहीं करना है, बल्कि इसमें देश भर की जनता, खासकर स्कूलों, समूचे युवा आंदोलन, महिला संगठनों तथा किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं का सहयोग लिया जाना चाहिए। मेरा तात्पर्य यह है कि सब लोगों को उचित वातावरण तैयार करने के काम में अपना हाथ बटाना चाहिए और आप देखेंगे कि गांवों की स्त्रियां बल्कि यूं कहिए कि सभी नारियां इस कार्यक्रम को अपनाने के पक्ष में हैं। एक अन्य बात बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह कि हमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जुटानी होंगी। क्योंकि अगर बच्चों के मरने की आशंका रहेगी तो लोग बच्चों का जन्म रोकने का खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगे। इसलिए उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार की उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए। यह समग्र राष्ट्रीय आयोजन का ही एक हिस्सा है।

प्र० : प्रधानमंत्री जी, क्या आप इस बात के हक में हैं कि परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था योजनाबद्ध रूप से जुड़ी रहे? आप जानती हैं कि एक ओर तो कर ढांचा है और दूसरी ओर सामूहिक निवेश है, इस प्रकार सरकार और लोगों के बीच परस्पर जिम्मेदारी की व्यवस्था कायम हो सकती है।

उ० : असल में यह विचार बहुत जटिल है और पहले भी इस पर कई बार विचार किया गया है। पहले हमने कुछ प्रोत्साहन भी दिए और कुछ अंकुश भी लगाए। मैं नहीं कह सकती कि यह कितना सफल रहा। इसे देखना होगा।

प्र० : क्या आप इसकी संभाव्यता की जांच करने को तैयार हैं?

उ० : हां, मैं इस विषय में जांच करने को तैयार हूं।

प्र० : और क्या आप यह भी महसूस करती हैं कि कानून पर भी फिर से विचार करने की जरूरत है ताकि इसे परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने में और सहायक बनाया जा सके? एक ऐसा नैतिक तंत्र बनाया जा सकता है, जिसमें परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहनों पर निर्णय किया जाए और उन्हें पक्षपातपूर्ण कह कर समाप्त न किया जाए?

उ० : मैं नहीं समझती कि कानून के जरिये नैतिक वातावरण तैयार किया जा सकता है। वह तो जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने की बात है।

प्र० : और अंत में एक प्रश्न और। अनुसंधानों से पता चलता है कि महिलाओं की शिक्षा, रोजगार तथा उनका पद ऊंचा करना जहां जन्म दर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, वहां यह भी हकीकत है कि ऐसा करना स्वयं देश के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपकी सरकार महिलाओं का स्थान ऊंचा करने के लिए विशेष कदम उठाने पर विचार कर रही है?

उ० : इस दिशा में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हमें तह से अर्थात् लड़कियों से काम शुरू करना है। और मैं समझती हूं कि इस बात के काफी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि लड़कियां अपनी पढ़ाई जारी रखें और पहले की तरह अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ दें। □

छोटा परिवार सुखी परिवार

सरकार की दिशा स्पष्ट और फैसलों में तेजी

श्रीमती इंदिरा गांधी

किसी अन्य देश की तरह भारत की समस्याएं भी बाहरी और आंतरिक बातों से प्रभावित हैं और आज की दुनिया में अधिक विकल्प सामने नहीं हैं। मैं अतीत की बात नहीं कहना चाहती किन्तु हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि मेरी सरकार द्वारा पदग्रहण करने के पूर्व देश में और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी स्थिति किस प्रकार बिगड़ गई थी। तेल का बढ़ता हुआ संकट, शीत युद्ध तनाव से मुक्ति की बजाय तनाव बढ़ना, शस्त्रों का जमाव, हमारे आसपड़ोस में सैनिकीकरण, बड़ी शक्तियों का टकराव, मुद्रास्फीति, उत्तर और दक्षिण वार्ता की धीमी गति, प्रतिबंधात्मक व्यापार अवरोध, ये सब पहले से चल ही रहे थे और अब हम देख रहे हैं ईरान और इराक के बीच संघर्ष चल रहा है।

देश के अन्दर नजर डालें तो देखेंगे कि विघटनकारी तत्व बढ़ गए थे और यही बात साम्प्रदायिकता और जातिवाद के संबंध में कही जा सकती है जिनके बारे में हम समझते थे कि हमने उन पर काबू पा लिया है पर उन्होंने अपना सर फिर उठाना शुरू कर दिया है। उच्चतर शिक्षा अथवा उच्चतर अध्ययन के संस्थान बदनामी के पात्र हो गए थे और यही बात वैज्ञानिकों जैसे लोगों के बारे में भी कही जा सकती है। कीमतें तेजी से ऊपर चढ़ रही थीं। मुझे यह देखकर बड़ा ताज्जुब है कि कुछ लोग मेरी सरकार के संबंध में 'रास्ते से हटने' अथवा 'कार्य न करने वाले' जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस संबंध में कोई वे बहुत मौलिक नहीं हैं। यही बात हम ठोस आधार की वजह से जनता पार्टी और लोकदल सरकारों के बारे में कहा करते थे। यह उन लोगों की कल्पना की उड़ान हो सकती है अथवा यह महज अखबारों के ऐसे टिप्पणीकारों का मामला हो सकता है जो असलियत देखना पसन्द नहीं करते।

जनता पार्टी और लोकदल सरकारों के समय में प्रशासन की जो खराब हालत हो गई थी, उसमें अब तेजी से सुधार आता जा रहा है। आज दिशा स्पष्ट है। रिकार्ड समय में ऐसी योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है जिसमें पहले के मुकाबले सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है और सही प्राथमिकताएं तथा बिल्कुल स्पष्ट प्राथमिकताएं निश्चित हैं। कृषि और उद्योग में उत्पादन बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक अप्रैल से निरतर बढ़ता जा रहा है। उत्पादन वितरण और पूंजी निवेश में सुधार लाने के संबंध में पहले के मुकाबले बहुत तेजी से फैसले किए गए हैं। कार्यविधि को सरल बनाए जाने के कारण लाइसेंस देने की गति दुगुनी हो गई है। जनता पार्टी और लोकदल द्वारा अग्रिम निवेश करने में विफल रहने के कारण आधारभूत ढांचे की स्थिति बिगड़ गई थी। स्वभावतः ही इसमें काफी सुधार हुआ है। मैं ब्यौरे में नहीं जाना चाहती पर खास-खास मुद्दों का उल्लेख कर रही हूं।

कानून और व्यवस्था की स्थिति कुछ बेहतर है हालांकि वह संतोषजनक नहीं है। मैं उन लोगों को बधाई देना चाहती हूं जिन्होंने पिछले दिनों में शान्ति बनाए रखने के लिए कठिन परिश्रम किया क्योंकि जैसा आप जानते हैं हरेक यही कहता था कि विभिन्न त्योहार इतने पास-पास आ रहे हैं कि हमारे लिए यह काम कठिन होगा। लेकिन सभी जगह शांति रही है। खासकर दिल्ली में ईद की नमाज बहुत अच्छे ढंग से अदा की गई और यह सब उन्हीं स्वयंसेवकों की बदौलत है जिनमें व्यक्ति और समूह दोनों ही शामिल हैं, जिन्होंने लगभग दिन-रात लोगों का संदेह और डर दूर करने के लिए कार्य किया। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो भड़काने पर तुले हुए थे। किसी भी स्थिति में यह ऐसी समस्या है कि अगर आप लोगों को गुस्सा दिखाने के लिए कहते हैं तो उसका दूसरे सम्प्रदाय पर असर होना स्वाभाविक ही है और इस तरह ही स्थिति बिगड़ती जाती है। साम्प्रदायिक भावनाओं को शांत करने के बारे में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यह जल्दी से निपटाई जाने वाली समस्या नहीं है। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं अनेक देशों में भी है। कहीं वह साम्प्रदायिक है, कहीं वह जातिवाद अथवा भाषायी रूप में है, पर भारत में हम

कुल मिलाकर इस पर नियंत्रण कर सके हैं और अल्पसंख्यकों को अच्छे व्यवहार का विश्वास दिला सके हैं। यह तो सही है कि मुरादाबाद में जो कुछ हुआ वैसा कुछ होता है तब पुराने घाव हरे हो जाते हैं। अतः सभी को इस बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाली दोष लगाने से कुछ नहीं होता। यह तो अवश्य है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, इस संबंध में कोई संदेह नहीं है। किन्तु पहला काम विश्वास का वातावरण बनाना होना चाहिए क्योंकि सुरक्षा बल बहुत ही सक्रिय और सावधान रहकर काम करते हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है—कुछ इसके अपवाद हो सकते हैं। पर बुनियादी तौर पर पड़ोसियों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए और उनका रवैया सही होना चाहिए। मुरादाबाद में ऐसे कई उदाहरण हैं जबकि मुसलमानों ने हिन्दुओं की दुकानों या लोगों को बचाया और इसी तरह ऐसे उदाहरण भी हैं जबकि हिन्दुओं ने मुसलमानों की दुकानों और लोगों को बचाया। देश की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखा जाना चाहिए, पृथकतावादी और साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए और तोड़ फोड़ के खिलाफ सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

एक बहुत ही अच्छे काम की अखबारों में आमतौर पर चर्चा नहीं हुई। यह काम था अब तक के सबसे भयंकर सूखे का सामना करने में किया गया अथक तथा असाधारण प्रयास और उसमें मिली सफलता।

कहीं-कहीं सूखा अब भी है किन्तु हम इस संकट का सामना करने में सफल हुए हैं। किसी की मौत नहीं होने दी, बाहर से अनाज नहीं मंगाया, यह सब एक बड़ी उपलब्धि है। हमने बहुत भयंकर बाढ़ों का भी सामना किया खासतौर से उत्तर प्रदेश में और मैं यह बताना चाहती हूं कि सूखे के संबंध में सारी जिम्मेदारी केन्द्र ने उठाई क्योंकि उस समय अधिकांश राज्यों में राष्ट्रपति शासन था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप हुआ। मेरे पास सभी वर्गों के लोग आए। इनमें केवल राजनीतिक लोग ही नहीं थे, गरीब भी थे और मध्यम वर्ग के लोग भी थे। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ का सामना किया और लोगों को सहायता पहुंचाई और जरूरी चीजें भेजीं उसकी सबने तारीफ की है। मैं यह भलीभांति जानती हूं कि कुछ चीजों के भाव बहुत ऊंचे हैं। इनमें खासतौर से चीनी, गुड़, पेट्रोलियम और उसके उत्पाद शामिल हैं। 1976-77 में हमारी नीति के फलस्वरूप चीनी का उत्पादन 1977-78 में बढ़कर

गांवों की स्थिति में सुधार

स्वतंत्रता के बाद से हमारे देश में गांवों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। मैं यह तो नहीं कहती कि गांवों की स्थिति एकदम बदल गई है या जो कुछ किया गया है, वह पूरी तरह संतोषजनक है। पर यह कहना भी गलत है कि गांवों के लिए कुछ किया ही नहीं गया। मैं देश में निरन्तर घूमती रही हूं। प्रधानमंत्री बनने से पहले मैं महीने में लगभग तीन सप्ताह घूमती रही हूं और बाद में भी मैं देश का काफी भ्रमण करती रही हूं और मैंने स्वयं देखा है कि गांवों की हालत बदली है। कई बीमारियां बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। आपको बच्चों में जो कुपोषण दिखाई देता था, अब वह काफी हद तक खत्म हो गया है। असल में, अपनी पूरी यात्राओं के दौरान मैंने एक भी ऐसा बच्चा नहीं देखा, जो कुपोषण से पीड़ित हो। स्पष्टतः उनका लालन-पालन पहले से अच्छे ढंग से हो रहा है, क्योंकि वे पहले की अपेक्षा अब स्वस्थ हैं और उनकी आंखों में पहले से अधिक चमक है। कुछ क्षेत्रों में बेहद गरीबी है, किंतु कुल मिलाकर मैं कहना चाहूंगी कि वे पहले से बेहतर कपड़े पहनते हैं। स्वास्थ्य हो या शिक्षा सभी तरह के कार्यक्रमों में वृद्धि हो रही है, पर जनसंख्या भी बराबर बढ़ रही है। आप एक साथ सब चीजें तो हासिल नहीं कर सकते। आप परिवार नियोजन भी नहीं करना चाहते और नई-नई सुविधाएं भी चाहते हैं। देखिए, जब तक सभी लोग कुछ निश्चित नियमों और सिद्धांतों का पालन नहीं करते, तब तक मुश्किल आसान होने वाली नहीं है और यही सबसे बड़ी समस्या है।

एक और बात यह है कि बढ़िया कार्यक्रम भी जब लागू किया जाता है तो कभी-कभी उसके वे परिणाम सामने नहीं आते, जिनकी कल्पना की जाती है। हमारे ढांचे में एक खराबी यह भी है कि इसमें लचीलापन नहीं है। एक बार फैसला हो जाने के बाद उसे बदलना बहुत कठिन हो जाता है। और जब उसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया भी जाता है तो सरल बनने के बजाय यह और जटिल बन जाता है। हमने व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करने की चेष्टा की। पंचायती राज का उद्देश्य विकेन्द्रीकरण करना ही था लेकिन बात बनी नहीं। पर मेरे विचार में इन सब कामों में समय लगता है। मुझे एक घटना बताई गई थी कि 1960 में हमारे देश के एक प्रमुख राजनेता इंगलैंड गए। उस समय वहाँ एक उपचुनाव होना रहा था और उन्होंने कंजरवेटिव पार्टी के उम्मीदवार के साथ कुछ क्षेत्रों का दौरा किया, जो बाद में जीत भी गया। जिस क्षेत्र में वह गए, वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी तथा औरतों को दूर-दूर से बाल्टियों में पानी लाना पड़ता था और वहाँ बिजली भी नहीं थी। यह स्थिति 1960 में थी। मेरा मतलब यह नहीं कि यह स्थिति अच्छी है। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि भारत में जो कुछ हो रहा है, उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखने की बजाय हम उसकी आलोचना करने लगते हैं। हमें अपने देश की घटनाओं पर इस दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिए कि पश्चिमी या समाजवादी देशों अथवा उन देशों में क्या हो रहा है, जहां बल-प्रयोग होता है या दबाव से काम लिया जाता है।

[प्रेस सम्मेलन में ग्रामीण भारत के बारे में प्रधानमंत्री का उत्तर]

64.6 लाख टन हो गया था किन्तु बाद की सरकारों—जनता और लोकदल सरकारों की बदौलत वह 1979-80 में घटकर 38 लाख टन हो गया। आजकल जो चीनी की कमी है, उसका एक मुख्य कारण यही है। इस साल फसल बेहतर होगी और मुझे बताया गया है कि मुद्रास्फीति की गति धीमी हो गई है। खाद्य और अनाज उत्पादन के आसार अच्छे हैं। कोयले और बिजली में सुधार हुआ है। उद्योगों में जनता पार्टी की बदौलत इस्पात, सीमेंट और कोयले के उत्पादन में बहुत गिरावट आ गई है। अब औद्योगिक उत्पादन फिर बढ़ने लगा है। अप्रैल में यह शुरू हुआ और अगस्त से यह और बढ़ रहा है विशेषकर अल्युमीनियम, तांबा, अखबारी कागज और कच्चा लोहा, बिक्री योग्य इस्पात, फास्फेटिक उर्वरक और कुछ अन्य चीजों के बारे में यही कहा जा सकता है। मुझे दुख है कि रेलवे ने उतनी प्रगति नहीं दिखाई जितनी होनी चाहिए पर वे स्थिति में सुधार लाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए हैं। जब हमने पदभार संभाला था तब 18 हजार वैगन 'खराब' सूची में थे। उद्योग की स्थिति मुख्यत: मशीन निर्माण उद्योग और पूंजीगत निर्माण उद्योग से परखी जाती है और इन क्षेत्रों में प्रगति हुई है। बन्दरगाहों की भीड़-भाड़ खत्म हो गई है। इस प्रकार एक समन्वित तस्वीर उभर कर सामने आई है।

आज सवेरे के अखबारों में मैंने हमारे एक मंत्री के बारे में यह टिप्पणी पढ़ी कि वे प्रतिभाहीन हैं। मैं जानना चाहती हूं कि जनता सरकार के पिछले मंत्रियों में कितनी प्रतिभा थी। इसका उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। उन लोगों में इतनी अधिक प्रतिभा और प्रतिष्ठा थी कि वे इस नतीजे पर पहुंचे कि यूनेस्को कार्यकारी मंडल में एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे, इसलिए भारत को खड़ा नहीं होना चाहिए। किन्तु हम इस सीट के लिए खड़े हुए और मुख्यत: शिक्षा मंत्री श्री शंकरानंद के प्रयास के बदौलत हमें सर्वाधिक वोट मिले। यह केवल एक उदाहरण है। इसी तरह की और बातों को देखा जा सकता है जो इस या उस क्षेत्र में हो रही हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के संबंध में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है और अलग-थलग पड़ने की बात कहना बेतुका है। हम अलग-थलग रहने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर हम सही निर्णय लेते हैं तो अलग-थलग होने में कोई बुराई नहीं है। गलत फैसला करने वालों के साथ रहने और गलत दिशा में जाने वालों के साथ रहने में कोई सही बात नहीं है। कुछ लोगों द्वारा तथाकथित अलग-थलग पड़ने की बात कहे जाने के बावजूद यही तथ्य कि बहुत से लोग अब भी समाधान के लिए भारत आ रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि हमारे विचार क्या हैं और यही नहीं, हमारे दृष्टिकोण के कारण उनमें से कई ने अपनी नीतियां बदली हैं, मैं समझती हूं कि यही बात हमारे लिए पर्याप्त प्रमाण है। जो हम सही समझते हैं, जो हम राष्ट्र के हित में समझते हैं और जो हम विश्वशांति के हित में मानते हैं, हमें सदैव वही करना है। हमने वही किया है और हम वैसा ही करते रहेंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान और नीतियों में हमेशा फर्क होता है और उनमें अन्तर होना स्वाभाविक है। हम जो भी कुछ करते हैं उसमें दूरदर्शी और विश्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाने के प्रयास करते हैं। हम समझदारी और शांति के लिए आवाज उठाते हैं और नई आर्थिक व्यवस्था में मानव की प्रगति चाहते हैं। भारत की स्थिति को अच्छी तरह समझा गया है। □

[प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का 21 अक्तूबर को नई दिल्ली में प्रेस सम्मेलन के प्रारम्भ में वक्तव्य।]

परिवार नियोजन

ऐसे किसी भी देश के लिए, जिसकी आबादी तेजी के साथ बढ़ रही हो, परिवार नियोजन कार्यक्रम का बहुत महत्व है और जितनी बढ़िया हमारी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, उतनी ही बड़ी यह समस्या बन जाएगी। वास्तव में मुख्य प्रश्न-जन्म-दर का नहीं है। परंतु न तो पहले हम इस मामले में जोर-जबर्दस्ती के हक में रहे हैं और न ही अब जोर-जबर्दस्ती या बाध्यता को उचित मानते हैं। सवाल तो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने और उन्हें इस बारे में समझाने का है, क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकती हूं कि अधिकतर महिलाएं परिवार नियोजन के पक्ष में हैं। दुर्भाग्यवश, 'बलपूर्वक' नसबंदी के बारे में काफी झूठा प्रचार किया गया। कुछ ऐसा हुआ, पर वैसा नहीं, जितना बढ़ा चढ़ा कर प्रचार किया गया। लोगों को यहां तक बताया गया कि सभी पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों तक की नसबंदी की जा रही है। इससे लोगों के मन में इस कार्यक्रम के प्रति आतंक फैल गया। पर हमारा कार्यक्रम इस प्रकार का नहीं है। मेरे विचार में, हमें लोगों को यह बताना और शिक्षित करना है कि इस कार्यक्रम में सवाल केवल जनसंख्या कम करने का नहीं है, बल्कि यह है कि परिवार सुखी बनें और माता-पिता अपने बच्चों को उनके अधिकार, उनका प्राप्य दे सकें। बच्चे को मात्र एक जोड़ी हाथ नहीं, बल्कि पूर्ण व्यक्ति समझा जाना चाहिए, जिसके कुछ अधिकार हैं तथा बड़ा होने पर जिसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। इसके अतिरिक्त मेरा विचार है कि महिलाओं को भी इस बात का फैसला करने का अधिकार होना चाहिए कि वह कितने बच्चों को जन्म देना चाहती हैं। मेरा मतलब है कि हमारे यहां नारी को दोहरी जिम्मेदारी निभानी होती है क्योंकि आमतौर पर महिलाओं को बच्चे जनने तथा उनके पालन-पोषण के साथ-साथ अन्य काम भी करने पड़ते हैं।

[प्रेस सम्मेलन में परिवार नियोजन पर प्रधानमंत्री का उत्तर]

विकास कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए संचार टेक्नालाजी महत्वपूर्ण

—श्री वसंत साठे—

एक शताब्दी से अधिक समय पहले डिजराइली ने लिखा था कि निर्धन और धनी दो अलग राष्ट्र हैं जिन्हें एक-दूसरे की आदतों, विचारों और भावनाओं की जानकारी नहीं है। जैसे वे अलग-अलग क्षेत्रों के निवासी या अलग-अलग ग्रहों पर रहने वाले हों। उस महान नेता के शब्द विभिन्न विकासशील देशों के संदर्भ में आज भी एकदम सही हैं। लगता है दुनिया का तौर-तरीका बदलता नहीं है। हममें केवल विचार-विमर्श करने तक ही एकता है। लेकिन उद्देश्य के प्रति स्वयं को पूरी तरह से एकरूप करने से हम डरते हैं और हिचकते हैं। हमारी प्रधान-मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हाल ही में कहा था कि वर्तमान विश्व संकट केवल "राजनीतिक और आर्थिक होड़ की वजह से ही नहीं है, यह तो आत्मा का संकट है।"

सच्ची विश्व भावना

मैं भारत के प्राचीन ऋषियों द्वारा व्यक्त उन भावनाओं की जानकारी देना चाहता हूं जिनमें ज्ञान और अनुभूति की सच्ची विश्व भावना के दर्शन होते हैं और जिनसे मानवीय सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। ऋषियों ने कहा "आनोभद्राः कृतवोयन्तु विश्वतः" अर्थात् समूचे विश्व से सद्विचार प्राप्त किए जाने चाहिए। वास्तव में गांधी जी ने भी इसी आदर्श को माना जब उन्होंने कहा "मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें हों और मेरी खिड़कियां बन्द हों। मेरी इच्छा है कि सभी देशों की संस्कृति निर्विघ्न रूप से मेरे घर तक पहुंचे। लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि मेरे पांव किसी भी संस्कृति के कारण उखड़ जाएं।" इसमें यही कहा गया है कि विश्व के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक समानता की आवश्यकता है। अन्य लोगों के विचारों को अपने तक पहुंचने देने के इस सिद्धांत से मानवता की समानता को बढ़ावा मिलेगा। आज जब हम विश्व ग्राम या विश्व समुदाय की बात करते हैं तो उसका बिल्कुल यही अर्थ रहता है।

संचार और विकास

स्वतंत्र भारत ने अपना लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को प्रोत्साहन देना निश्चित किया। हमारे संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में भी यही लक्ष्य रखा गया है। नव स्वतंत्र राष्ट्रों में भारत उन कुछ पहले देशों में था जिन्होंने नियोजित विकास का रास्ता अपनाया। हम जानते हैं कि संचार के माध्यम से विकास कार्यों में हम आम लोगों का व्यापक सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ही भारत सरकार जन संचार माध्यमों के विकास पर काफी पूंजी लगाती रही है। इसके परिणामस्वरूप जन संचार सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार हुआ है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे यहां केवल एक हजार से कुछ अधिक पत्र-पत्रिकाएं थीं। लेकिन आज हमारे देश में पत्र-पत्रिकाओं की संख्या 18 हजार है। उस समय केवल 6 नगरों में रेडियो स्टेशन थे और सिर्फ तीन लाख रेडियो सेट थे। अब देश की शहरी, अर्द्धशहरी और आदिवासी क्षेत्रों में 84 प्रसारण केन्द्र हैं और दो करोड़ से भी अधिक रेडियो सेट हमारे देश में हैं। 1947 में हमारे यहां हर वर्ष 288 कथाचित्रों का निर्माण होता था जिन्हें तीन हजार सिनेमा घरों में दिखाया जाता था। लेकिन इस समय हम हर वर्ष 750 से अधिक कथाचित्र और 12 हजार से अधिक लघुचित्र तथा समाचार चित्र तैयार करते हैं जिन्हें दस हजार से भी अधिक सिनेमाघरों में दिखाया जाता है। हमने 1959 में यूनेस्को की सहायता से दिल्ली में दूरदर्शन प्रयोग के तौर पर शुरू किया था। भारत में दूरदर्शन के सात मुख्य केन्द्र हैं, तीन कार्यक्रम प्रस्तोता केन्द्र, सात उपग्रह प्रायोगिक दूर-दर्शन सेवा संचालनाधीन ट्रांसमीटर और तीन रिले केन्द्र काम कर रहे हैं। हमारे देश में टी० वी० सेटों की संख्या दस लाख से अधिक है। 1975-76 में उपग्रह प्रायोगिक दूरदर्शन सेवा से 6 राज्यों के अनेक गांवों में वर्ष भर दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करने से हमें बेजोड़ अनुभव हुआ और यह प्रयोग अपनी तरह का ग्रामीण संचार का सबसे बड़ा प्रयोग सिद्ध हुआ।

यूनेस्को ने सातवें दशक में विकास-शील देशों के लिए, संचार के बारे में जिन लक्ष्यों की सिफारिश की थी हम उनसे अभी काफी पीछे हैं। उनके अनुसार हर सौ व्यक्तियों के लिए दैनिक समाचारपत्रों की दस प्रतियां, बीस रेडियो सेट और दो सिनेमा सीटें होनी चाहिए। सूचना ग्रहण करने के साधनों के लक्ष्यों के साथ-साथ हमारे सामने दूर-दराज के इलाकों, गांवों तथा आदिवासी क्षेत्रों में कारगर ढंग से और जल्दी सूचनाएं पहुंचाने की समस्या भी है। हम इसे अवसर के साथ-साथ चुनौती मानते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि संचार माध्यम सामाजिक परिवर्तन में

महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि अपने राष्ट्रीय साधनों का अधिकतम उपयोग करें और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इन साधनों में वृद्धि करें। सभी जानते हैं कि हम एक-दूसरे के साथ कैसे सहयोग करते रहे हैं। हमारा यह सहयोग समानता, गरिमा और आपसी सम्मान पर आधारित है।

हमारे विचार में संचार, विकास की गति तेज करने का ही एक और नाम है। इसलिए हम सामाजिक परिवर्तन के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक संचार माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे रेडियो से पिछले तीस वर्षों से अंग्रेजी सहित सोलह भाषाओं में औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। ये कार्यक्रम 35 केन्द्रों से प्रसारित किए जाते हैं और अन्य 25 केन्द्र इन्हें रिले करते हैं। हमारे यहां ऐसे 6 रेडियो ट्रांसमिशन केंद्र हैं जो अनौपचारिक शिक्षा संस्थाओं के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से किसानों, युवकों, महिलाओं, बच्चों और औद्योगिक कामगारों को शिक्षा और ज्ञान देने के उद्देश्य से विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हैं और इन्हें रेडियो के स्कूल माना जाता है। हाल ही में क्षेत्र विशेष की बोलियों में, स्थानीय स्तर के कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम स्कूल जाने वाले बच्चों, खासकर आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों के लिए विशेष लाभदायक हैं।

भारत में टेलीविजन की स्थापना ही शिक्षा के उद्देश्य से की गई थी। विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से स्कूलों के लिए नियमित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और सायंकाल के दूरदर्शन प्रसारण में कृषि, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा सामाजिक चेतना के विभिन्न कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। हाल ही में उपग्रह शिक्षा दूरदर्शन प्रयोग से हमारे देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में ग्राम लोगों को दूरदर्शन कार्यक्रम दिखाने का मौका मिला। हमने बड़ी संख्या में शिक्षाप्रद और प्रेरक छोटी फिल्में बनाई हैं जो केवल सिनेमाघरों में ही नहीं, क्षेत्र प्रचार के कार्यक्रमों में भी दिखाई जाती हैं। जहां आवश्यकता हो पुस्तकों, इश्तिहारों, पत्रकों आदि से भी प्रचार किया जाता है।

संचार और एकता

हमारे समाज में अलग-अलग वर्ग हैं और अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सामाजिक और आर्थिक स्थितियों, धार्मिक विश्वासों और शिक्षा के स्तर में भी विषमता है, लेकिन जीवन के मूल्यों में समानता है जो हमारे समाज को एक सूत्र में बांधे रखती है। हमारी समाज रचना में सुदृढ़ संचार व्यवस्था, एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे संचार माध्यम देश की एकता बनाए रखने में कारगर सिद्ध हुए हैं।

इतिहासकारों का कहना है कि मानव समाज के विकास का कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो पूरी तरह त्रुटिहीन हो। इसका मतलब है कि मानवीय कार्य-कलापों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अनिवार्य कहा जा सके। हमारा भविष्य उस तरीके पर निर्भर है जो हम अपने जीवन के लिए चुनते हैं। एशिया, अफ्रीका तथा अन्य क्षेत्रों के विकासशील देश अपने जन-संचार माध्यमों का इस प्रकार विकास करने को प्रयत्नशील हैं जिससे वे सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता पूरी कर सकें। मुझे प्रसन्नता है कि विकासशील देश सम्पर्क माध्यमों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा टेक्नालाजी के आदान-प्रदान में सहयोग की भावना से काम कर रहे हैं। यही नहीं, वे सूचना के महत्व के कार्यक्रमों का भी आदान-प्रदान करते हैं। मुझे याद है कि गुटनिरपेक्ष देशों ने सूचना एकत्र करने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने के साधनों का विकास करने के लिए पहल की थी, जिससे वे इन सूचनाओं का आपस में और विकसित देशों के साथ आदान-प्रदान कर सकें। गुटनिरपेक्ष देशों की समाचार समिति का पूल समान स्तर के देशों का एक संगठन है, जो समाचार व्यवस्था के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है। यह व्यवस्था कई पुनर्वितरण केन्द्रों से जुड़ी है।

टेक्नालाजी और चुनौतियां

अब मैं फिर से उन चुनौतियों की चर्चा करूंगा जिनका नई टेक्नालाजी के विकास के कारण हमारे देशों के संचार माध्यमों को सामना करना पड़ रहा है। मेरा विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुविचारित योजना से ही इन समस्याओं को हल किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं इन तीन समस्याओं का संबंध अखबारी कागज, संचार मार्गों और विद्युत-चुम्बकीय व्यवस्था तथा भू-कक्षा के प्रयोग से है। अखबारी कागज तथा सामान्य प्रकार के कागज के साधनों की स्थिति ठीक न होने के कारण समाचारपत्रों के विकास में और नई पीढ़ी के अधिकतर लोगों के लिए मुद्रित रूप में सूचना उपलब्ध कराने में कठिनाई आ रही है।

हम सब जानते हैं कि टेक्नालाजी के विकास की तरह संचार का विकास भी निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम टेक्नालाजी को अधिक से अधिक लोगों तक जल्दी और प्रभावी ढंग से जानकारी पहुंचाने के काम में संचार माध्यम का सहायक मानते हैं। लेकिन उच्च किस्म की टेक्नालाजी के प्रति मोह को कई बार छोड़ना पड़ता है। यह कहते हुए मुझे इस बात का पूरा ध्यान है कि हम संचार टेक्नालाजी के क्षेत्र में पिछड़ना भी ठीक नहीं समझते। टेक्नालाजी का चयन करते समय नई तकनीकों के प्रति उत्साह और उनके अच्छे और बुरे प्रभावों पर सावधानी के साथ विचार किया जाना चाहिए। हम यहां सुझाव देना चाहेंगे कि रेडियो और टेलीविजन के उपकरणों की ऊंची लागत के बारे में किसी तरह का मानकीकरण किया जाना चाहिए। टेक्नालाजी को नया रूप देने की कोशिशें निश्चय ही जारी रहनी चाहिए। अनुसंधान और विकास कार्य भी चलते रहने चाहिए। नई टेक्नालाजी को अपनाने की क्षमता जुटाने तथा बुनियादी व्यवस्था पर भी विकासशील देशों में ध्यान दिया जाना चाहिए, नहीं तो वे पूरी तरह बाहरी सहायता पर निर्भर हो जाएंगे।

जन संचार माध्यमों के जरिये धन कमाना एक और मुद्दा है, जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। जहां तक मेरे देश का संबंध है वहां रेडियो-टेलीविजन में, जो कि सरकारी नियंत्रण में है, विज्ञापनों का विशेष महत्व नहीं है और इन माध्यमों के नीति निर्धारण पर व्यवसायीकरण के प्रभाव की समस्या हमारे यहां नहीं है। मैं यह भी कहूंगा कि जब सरकार संचार माध्यम को केवल संचार के उद्देश्य से ही इस्तेमाल करने की अपनी जिम्मेदारी के

ति सचेत है तो धन कमाने की प्रवृत्ति के बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन माध्यम को सुचारू ढंग से चलाने और उसकी बुनियादी व्यवस्था को विकसित करने के लिए अधिक साधन जुटाना जरूरी है। लेकिन हम इस स्थिति को उत्तरदायित्व की नजर से देखते हैं और निश्चित सीमाओं में ही विज्ञापन स्वीकार करते हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में संचार माध्यम की सुविधाएं जुटाने और उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार के कंधों पर है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन संचार माध्यमों को सूचना और शिक्षा का जरिया माना जाता है। लोगों को शिक्षित करने और उन्हें समुचित जानकारी देने की सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी है। यदि हमारे देश में संचार व्यवस्था विकसित करने के लिए सरकार की ओर से सहायता न दी जाए तो मुझे आशंका है कि हमारे देश के अधिकतर क्षेत्रों में लोगों को किसी तरह की जानकारी ही नहीं मिल पाएगी। मेरे इस कथन का यह मतलब नहीं है कि संचार माध्यमों पर नौकरशाही का नियंत्रण हो। सरकारी सहायता का संचार माध्यमों के कार्यक्रम बनाने और उन्हें पेश करने से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। यह काम संचार माध्यमों में काम करने वाले व्यक्तियों पर ही छोड़ा जाना चाहिए। विकासशील देशों को अपने यहां सामाजिक परिवर्तन की गति तेज करने के उद्देश्य से संचार के माध्यमों पर अवश्य ही नियंत्रण रखना चाहिए।

सूचनाओं का आदान-प्रदान

भारत ने हमेशा ही देश के भीतर और विभिन्न देशों के बीच सूचनाओं के निर्बाध आदान-प्रदान का समर्थन किया है। हमारा उद्देश्य यह रहा है कि पहले हम अपनी जनता को अपने देश की विकास संबंधी गतिविधियों की जानकारी दें और बाद में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के संबंध में उन्हें बताएं ताकि विभिन्न देशों के बीच सद्भाव और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिले। लेकिन हमारा यह मत है कि संचार माध्यमों के कर्मचारियों को स्वतंत्रता के साथ-साथ अपने कार्य के प्रति निष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि समाचारपत्रों और अन्य संचार माध्यमों को स्वतः ही अपने पर संयम रख कर काम करना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तर्क सूचना को विकासशील देशों की स्वतंत्रता तथा अखंडता का शत्रु बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिनमें से कई देश तो अभी नए-नए आजाद हुए हैं।

मैं सामूहिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में भी संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। हम भारत में सदा से यह मानते आए हैं कि हमारे समाज की भलाई के लिए आपसी सहयोग का बहुत महत्व है। हमारा दर्शन यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुरूप सहयोग देना चाहिए। हमने ग्रामीण-समुदायों के लिए विकास संचार तथा समाचारपत्रों, रेडियो और टेलीविजन और फिल्मों में काम करने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है। हमारे प्रशिक्षण संस्थानों—भारतीय जनसंचार संस्थान तथा भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में संचार माध्यमों के विभिन्न पहलुओं के प्रशिक्षण के लिए अन्य विकासशील देशों के छात्रों को भी प्रवेश दिया जाता है। हमारा विश्वास है कि सहयोग और सद्भाव बढ़ाने के लिए संचार टेक्नालाजी, अनुभव, प्रशिक्षण तथा कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के लिए विभिन्न देशों में सहयोग की काफी गुंजाइश है। इससे सब देशों में सद्भाव पनपेगा। हम यूनेस्को के तत्वावधान में संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के गठन के प्रस्ताव का पूरा समर्थन करते हैं क्योंकि हमारे विचार में इससे एक क्षेत्र के भीतर और विभिन्न क्षेत्रों द्वारा आपस में अनुभव के आदान-प्रदान के जरिये सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

अब से दो दशक से भी कम समय में विश्व नई शताब्दी में प्रवेश करने जा रहा है। यही समय है कि हम अपने आपसे यह प्रश्न करें कि क्या हम भावी पीढ़ियों के लिए विषमता, भेदभाव और द्वेष से भरा संचार छोड़कर जाएंगे या हम प्रकाश-पुंज की ओर अग्रसर होंगे। हमारे उपनिषद के ऋषियों ने ईश्वर से प्रार्थना की थी—"तमसो मा ज्योतिर्गमय" अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। हम सब प्रार्थना करें कि हम व्यवहार, बोलचाल, न्याय और काम करने के पुराने तरीकों से पुंजीभूत हुए बादलों से निकल कर प्रकाश की ओर प्रस्थान करें।

मैं अपने देश के प्राचीन ऋषियों द्वारा रचित एक और प्रार्थना यहां उद्धृत करना चाहूंगा:

"ऊं सहनाववतु सहनौ भुनवतु सहवीर्यम् करवावहै तेजस्वीना वधितमस्तु माविद्विषावहै अर्थात्—

"ईश्वर हमारी रक्षा करें
ईश्वर हमारा पालन करें
हम मिलकर पराक्रम करें
हमारा ज्ञान तेजस्वी हो, और
हम घृणा और द्वेष से मुक्त रहें।" □

[बेलग्रेड में यूनेस्को महासम्मेलन के 21वें अधिवेशन में सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वसंत साठे के भाषण पर आधारित]

तेल की हर बूंद कीमती है इसे बचाइए!

एक समय था जब 'गोबर' का नाम सुनकर लोग नाक-भौंह सिकोड़ते थे। अब भी बातचीत में 'गोबर' शब्द का उपयोग किसी निकृष्ट कार्य को बतलाने के लिए किया जाता है। इस सबके बाद भी स्थिति यह है कि लोग गोबर के विभिन्न उपयोगों के लिए जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर अपना समय खपा रहे हैं। अपनी-अपनी सलाह दे रहे हैं और पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किस प्रकार ऊर्जा की बढ़ती हुई कमी की पूर्ति गोबर गैस से की जाए। मात्र इतना ही नहीं गोबर गैस के उत्पादन का दूसरा सीधा फायदा परिष्कृत नाइट्रोजन खाद का प्राप्त होना भी है। इस सबके बाद भी जितनी प्रगति इस क्षेत्र में होनी चाहिए थी, उतनी हमारे देश में नहीं हुई।

भारत गोबर गैस के विकास तथा अनुसंधान कार्य में अग्रणी रहा है। इस समय भी भारत में ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों पर हो रहे काम की झलक 'उद्यम' नामक प्रदर्शनी में देखने को मिली। विदेशों से आए प्रतिनिधि बहुत ही प्रभावित थे कि इस प्रकार के कार्य हमारे देश में किए जा रहे हैं। उन्होंने गोबर गैस के उपयोग में उत्सुकता तथा रुचि विशेष रूप से दिखलाई।

गोबर गैस संयंत्र के विकास का कार्य अब तक अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा तैयार किए गए डिजाइन पर ही आधारित रहता था। अब इसके साथ ही एक दूसरे संस्थान गोबर गैस अनुसंधान केन्द्र, इटावा ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है। इस गोबर गैस के उपयोग से देश की हालत कितनी सुधर सकती है, वह इस समय उपलब्ध ग्रामीण विद्युतीकरण के आंकड़ों से मुकाबला करके देखा जाए तब पता लगेगा कि यदि गोबर गैस का विकास होता है तो उससे देश की हालत खासकर दूर-दराज के गांवों में कितनी सुधर सकती है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने हाल ही में घोषणा की है कि 1995 तक देश के सभी गांवों को बिजली पहुंचाने की योजना है और उनकी प्रगति को देखते हुए इस लक्ष्य की प्राप्ति कोई असंभव कार्य नहीं है। अभी देश के 5 लाख 75 हजार गांवों में से 2 लाख 40 हजार गांवों को बिजली की सुविधा प्राप्त है। इसका तात्पर्य है कि अगले 15 वर्षों में 3 लाख से अधिक गांवों को बिजली की सुविधा और उपलब्ध कराई जानी है। बिजली आधुनिक जीवन का एक अंग है और ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करने के लिए बिजली की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 10,000 से अधिक आबादी वाले 90 प्रतिशत से अधिक गांवों में; 5,000 से 9,999 आबादी वाले गांवों में 80 प्रतिशत से अधिक में; 2000 से 4,999 तक आबादी वाले गांवों में 70 प्रतिशत में; 1,000 से 1,999 आबादी वाले गांवों में 40 प्रतिशत से अधिक में; 500 से 999 आबादी वाले गांवों में 25 प्रतिशत से अधिक में और 500 से नीचे जनसंख्या वाले गांवों में 10 प्रतिशत के लगभग गांवों में विद्युतीकरण किया है। इस प्रकार, इन आंकड़ों से यह साफ पता चलता है कि जिन गांवों की आबादी अधिक है उनके विद्युतीकरण में निगम ने अपने आर्थिक ढांचे को देखते हुए प्राथमिकता दी, कम आबादी वाले गांव दूर-दराज क्षेत्रों में हैं जहां तक ट्रांसमीशन लाइन ले जाना बहुत महंगा है और उसका उपभोग भी कम व्यक्ति कर पाते हैं। इसलिए अपने उद्देश्यों के अनुकूल ग्रामीण विद्युतीकरण निगम शुरू में अधिक आबादी वाले विद्युतीकृत इलाकों के नजदीक गांवों को प्राथमिकता दे रहा है। परन्तु ग्रामीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि हर प्रकार के गांवों में ऊर्जा के साधनों को उपलब्ध किया जाए। जब इसको सामने रखते हैं तब गोबर गैस की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है।

गोबर गैस और ग्राम विकास

प्रदीप चतुर्वेदी

अपने देश में गोबर गैस को लोग जानते तो बहुत दिनों से हैं और गोबर गैस संयंत्र तथा बायो गैस संयंत्र दोनों को गोबर गैस संयंत्र के नाम से ही बुलाते हैं। इन दोनों में फर्क इतना होता है कि गोबर गैस संयंत्र में सिर्फ गोबर का इस्तेमाल होता है जबकि बायो गैस संयंत्र में गोबर के अलावा किसी भी प्रकार के जैविक तत्व, जैसे कूड़ा-करकट इत्यादि को भी सड़ा कर गैस बनाई जा सकती है।

भी गोबर गैस के उत्पादन के लिए विभिन्न कार्य चल रहे हैं। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन को मुख्य रूप से गोबर गैस संयंत्र के विकास के लिए एक एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कमीशन के प्रयास से अब तक देश में 80,000 से अधिक गोबर गैस संयंत्र लग चुके हैं। पिछले तीन-चार वर्षों में, जब से ऊर्जा का संकट सामने आया है, इस कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत की देखा-देखी ही अन्य देशों में, जिनमें कि कई विकसित देश हैं, इस ओर कार्य किया गया।

पिछले दिनों राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों का एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के लिए एक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बहुत छोटे देश भी उपस्थित थे और आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड जैसे विकसित देश भी। इस सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिनिधियों को

इस प्रकार से जब गोबर गैस का उपयोग किया जाता है तो गोबर से उपलब्ध ऊर्जा का अधिक से अधिक दोहन होता है। प्रयोगों से पता चला है कि यदि गोबर की किसी मात्रा से कंडे बनाए जाएं और गोबर गैस तैयार की जाए तो गोबर गैस 12 गुना अधिक ऊर्जा उपलब्ध कराती है। साथ ही इस संयंत्र में से जो बच जाता है, वह बहुत अच्छी किस्म की नाइट्रोजन-बहुल खाद होती है। इतना ही नहीं खाद की मात्रा भी गोबर जितना डाला जाता है उससे लगभग डेढ़ गुना होती है। गोबर गैस का इस्तेमाल घर में गैस जलाने के लिए किया जा सकता है, बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है, पम्प सैट चलाने के लिए किया जा सकता है और कृषि के मशीनी-कृत यंत्रों को चलाने के लिए किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं यह हर प्रकार से पूरी कर सकती है। इसके विकास से ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य तथा ग्रामीण विकास का लक्ष्य दोनों अधिक कुशलता से प्राप्त किए जा सकते हैं।

इस समय भारत में दो डिजाइनों के गोबर गैस संयंत्रों का विकास हो रहा है। एक तो खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने जो माडल तैयार किया, उस पर आधारित है। दुनिया में बनाए गए गोबर गैस संयंत्रों में यह संयंत्र सबसे अधिक कुशल माना जाता है। इस संयंत्र में गैस उत्पादन की वही विधि अपनाई गई है जोकि अन्य रासायनिक गैसों के उत्पादन में अपनाई जाती है। गोबर गैस को रासायनिक नाम मीथेन से जाना जाता है। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के डिजाइन में जमीन में एक गड्ढा खोद डाइजेस्टर बनाया जाता है जिसमें गोबर को पानी के साथ मिलाकर डाला जाता है। इसके ऊपर स्टील का बना हुआ एक खोल रख दिया जाता है। जब गोबर सड़ने लगता है और उसमें से गैस निकलती है तो यह खोल, जिसे 'गैसघर' भी कहा जाता है, ऊपर उठने लगता है। इस खोल में एक नली लगी रहती है जिससे गैस निकाली जा सकती है। इस विधि से गैस उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसका मूल सिद्धान्त गैस उत्पादन ही है। कम्पोस्ट खाद एक सह-उत्पादन है। गैसघर इस्पात का बनाया जाता है और इसके अलग-अलग हिस्सों को वेल्डिंग करके जोड़ना पड़ता है। इस सब कार्य में खर्च भी संयंत्र की कुशलता के अनुरूप ही बैठता है। रुड़की स्थित केन्द्रीय भवन निर्माण संस्थान ने इस्पात के बने खोल के स्थान पर फेरो-सीमेंट के खोल का ढांचा तैयार किया है। इसमें लोहे का एक जाल बना लिया जाता है, जिस पर फेरो-सीमेंट का लेप कर देते हैं। इस प्रकार के खोल का वजन इस्पात खोल से अपेक्षाकृत अधिक होता है। आशा है कि जैसे-जैसे इसका विकास होता जाएगा, इस खोल का वजन भी इस्पात के खोल के वजन के बराबर कर लिया जाएगा। इस खोल से सबसे बड़ी सुविधा यह रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिना वेल्डिंग-कुशल कारीगरों के यह संयंत्र तैयार किया जा सकेगा।

दूसरी विधि इटावा स्थित गोबर गैस अनुसंधान केन्द्र द्वारा विकसित की गई है, जिसको आमतौर पर चीन में भी चल रहे संयंत्रों के डिजाइन का कहा जाता है। इसमें पूरा का पूरा संयंत्र ईंट तथा गारे इत्यादि से बनाया जाता है। इस संयंत्र की गैस उत्पादन क्षमता खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के संयंत्र के मुकाबले में कम होती है, परन्तु इसमें किसी भी प्रकार का जैविक तत्व इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी लागत भी आधे से कम बैठती है।

चीन में जो संयंत्र उपयोग में लाए गए, उनकी मूल धारणा कम्पोस्ट खाद बनाने की थी और गैस बनाना एक सह-उत्पादन था, जबकि भारत में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा विकसित किए गए डिजाइन में मूल धारणा गैस उत्पादन की है और कम्पोस्ट खाद मात्र एक सह-उत्पादन। इस मूल सिद्धान्त की वजह से भारत में बने संयंत्र तथा चीन में बने संयंत्र की लागत में भी अन्तर रहता है।

भारत में जो दो प्रकार के संयंत्र बनाए गए हैं उनके पीछे एक धारणा यह भी है कि इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हो सकेंगे। जहां तक भारत सरकार का यह उद्देश्य है, सराहनीय है। परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार से होगी, वह अलग-अलग स्थानों पर निर्भर करता है। इस समय देश में एक हजार से कम आबादी वाले साढ़े चार लाख गांव हैं, जो दूर-दूर छितरे हुए हैं। इनके मुकाबले में पांच हजार से ऊपर की आबादी के कुल चार हजार गांव हैं जिनमें 85 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के द्वारा पहले ही प्रकाशमान हैं। ऐसी स्थिति में ये पांच हजार से अधिक की आबादी वाले गांव तो खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के डिजाइन से उचित लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि संभावना यह है कि इन गांवों के आसपास औद्योगिक क्षेत्र बिजली की उपलब्धता के कारण होंगे। यदि औद्योगिक क्षेत्र नहीं भी होंगे तो भी शहरी बस्तियां होंगी। परन्तु जो एक हजार से कम आबादी वाले गांव हैं, वे शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों से इतने दूर हैं कि उनके बारे में यह सोचना भी एक बेकार की बात है कि वहां पर वेल्डिंग इत्यादि के लिए कुशल कारीगर मिल सकेंगे या वहां के लोगों को इस विधा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इटावा के गोबर गैस केन्द्र द्वारा विकसित गोबर गैस संयंत्र अधिक उपयोगी साबित होगा। यह संयंत्र गांव वाले अपने आप आम ज्ञान से ही बना सकते हैं और वहीं के राजगीर इसकी देखभाल भी कर सकते हैं। इटावा के संस्थान ने अब तो बर्नर भी मिट्टी के बना दिए हैं जिससे कि चूल्हा जब जलाया जाए तो उसके लिए 100–150 रु० का इस्पात का बर्नर लाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक-डेढ़ रुपये के बर्नर से ही काम चल सकता है। इस बर्नर को बनाएंगे भी गांव के कुम्हार ही। उनका धंधा भी इसके साथ चलेगा।

इस प्रकार जो दो डिजाइन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संरक्षण में विकसित किए गए हैं, यदि कार्यक्षेत्र के अनुसार उपयोग किए जाएं, तो ग्रामीण विकास में सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

गोबर गैस के ऊर्जा के साधन के रूप में दोहन के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण

[शेष पृष्ठ 28 पर]

थ्रैशर : दुर्घटना रोकना आसान

डा० आनन्द जैन

भारत जैसे देश में जहां खाद्यान्न तथा अन्य औद्योगिक कच्चे माल की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही हो, कृषि में मशीनीकरण के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। फसल काटने के पश्चात उसके विधायन के लिए उत्पाद की प्रकृति के अनुरूप यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए खाद्यान्न की गहाई के लिए 'थ्रैशर' की आवश्यकता पड़ती है। पहले अन्न से भूसा अलग करने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। यह क्रिया मार्च से मई तक चलती रहती थी और तपती धूप में किसान और उसके बैल अपने पांव तले खाद्यान्न को दबाकर उससे भूसा अलग करते थे। यह क्रिया न केवल अवैज्ञानिक और धीमी थी अपितु कष्टकारक भी थी। 'थ्रैशर' ने यह समस्या काफी सीमा तक हल कर दी है और अब कुछ ही समय में खाद्यान्न से भूसा अलग किया जा सकता है। यही कारण है कि आज हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में लाखों की संख्या में थ्रैशरों का प्रयोग होता है। अकेले हरियाणा में 75,000 से अधिक थ्रैशर हैं।

लेकिन थ्रैशरों द्वारा गहाई की इस क्रिया ने दुर्घटनाओं को भी जन्म दिया है। मोटा अनुमान है कि थ्रैशरों के कारण देश में प्रति वर्ष हजारों व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि-इंजीनियरों द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि थ्रैशरों के असावधानीपूर्ण प्रयोग के कारण अकेले हरियाणा में 800 से 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ष दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जिनमें से ज्यादातर कृषि श्रमिक तथा बालक हैं। पंजाब में यह संख्या 600 से 800 के मध्य है। कुछ इसी तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की है। हर गर्मियों में जख्मी हाथों को थामे दिल्ली के अस्पतालों में ऐसे व्यक्तियों की भीड़ लग जाती है।

थ्रैशर सम्बन्धी दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में हुए अनेक अध्ययनों से पता चला है कि दुर्घटनाओं के पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण हैं: 1. मानवीय, 2. मशीन सम्बन्धी तथा 3. वातावरण सम्बन्धी। मानवीय कारणों से सबसे अधिक लगभग 75 प्रतिशत दुर्घटना होती है। अत्यधिक थकान, अस्वस्थता, मशीन पर कार्य करते समय नशीले पदार्थों के सेवन, ढीले वस्त्र पहनने तथा प्रशिक्षण के अभाव के कारण दुर्घटनाएं होती हुई देखी गई हैं। काम को जल्दी समाप्त करने की वजह से कई बार कृषि-श्रमिकों को 20-20 घंटे लगातार थ्रैशर पर लगे रहना पड़ता है। कार्य के समय अपने आपको चुस्त रखने के लिए मादक पदार्थों तक का प्रयोग किया जाता है, जिससे कई बार मानसिक और शारीरिक संतुलन भंग होने से दुर्घटना घट जाती है। कार्य करते समय ढीले कपड़े पहनना अक्सर घातक सिद्ध होता है। लेकिन फिर भी श्रमिक धोती, दुपट्टा आदि का प्रयोग करते पाए गए हैं। कृषि कार्यों में बाल श्रमिकों के प्रयोग पर कोई रोक न होने के कारण दुर्घटनाएं और भी

पंजाब के एक गांव में प्रयुक्त साधारण थ्रैशर

बढ़ी हैं। मशीन संबंधी कारणों से लगभग 15 प्रतिशत दुर्घटनाएं घटती हैं। देखने में आया है कि अधिकांश मशीनें अनधिकृत तथा अमान्य स्रोतों से खरीदी जाती हैं जिन पर उनके प्रयोग संबंधी निर्देश, निर्माता का नाम आदि अंकित नहीं होता। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन से यह भी पता चलता है कि थ्रैशरों की पोषण नाली मात्र 56—60 सेंटीमीटर लम्बी है, जो बहुत ही असुरक्षित है। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी अनुकूलतम लम्बाई 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मशीनों की पोषण निवायी तथा सिलेन्डर के बीच का स्थान ढका न होने के कारण दुर्घटना घटते देर नहीं लगती। कृषि इंजीनियरों के अनुसार पोषण निवायी तथा सिलेन्डर के बीच का कम से कम 15 इंच का स्थान लोहे की चद्दर से ढका होना चाहिए जबकि व्यवहार में यह 8—10 इंच से अधिक ढका हुआ नहीं होता। अस्पतालों में चिकित्सकों द्वारा एकत्रित की गई जानकारी से पता चलता है कि अधिकांश थ्रैशरों में किसी प्रकार की सुरक्षा गार्ड का प्रबंध नहीं था और यदि था भी तो उसके बारे में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को कुछ भी पता नहीं था। थ्रैशरों पर रात में कार्य करते समय पर्याप्त रोशनी तथा उपयुक्त वातावरण यानी भीड़-भाड़ रहित वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसके न होने पर दुर्घटना की आशंका रहती है। कई बार भीगी या नम फसल को थ्रैशर में डालने से दुर्घटना हो जाती है। नम या भीगी फसल को थ्रैशर में डालने से यह सिलेन्डर तथा धुरी जोड़ के इर्द-गिर्द लिपट जाती है जो न केवल मशीन वरन उसके चालक के लिए घातक सिद्ध होती है। मशीन को ओवरलोड कर देने से भी दुर्घटना घट जाती है।

मशीनों के प्रयोग में जोखिम निहित है, फिर चाहे वह औद्योगिक मशीन हो या कृषि कार्य में प्रयुक्त मशीन। लेकिन मशीन के

निरापद थ्रैशर पूसा 40

उपयुक्त डिजाइन तथा उसके सावधानीपूर्ण प्रयोग से इस जोखिम को कम किया जा सकता है। थ्रैशरों से होने वाली दुर्घटनाओं को भी काफी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। इन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम घटिया मशीनों के उत्पादन तथा प्रयोग पर नियंत्रण लगाना होगा। ऐसे निर्माताओं को थ्रैशर बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों की व्यवस्था न करें। इसके लिए लाइसेंसिंग पद्धति का अनुसरण किया जा सकता है। दूसरी ओर थ्रैशरों के प्रयोग के बारे में आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिए, यथा—कार्य करते समय ढीले वस्त्रों को न पहनना, उपयुक्त रोशनी की व्यवस्था, किसी मादक पदार्थ का सेवन न करना, केवल अभिस्वीकृत थ्रैशर का प्रयोग करना आदि। थ्रैशरों की मोटर का मेन स्विच प्रयोगकर्ता की पहुंच में होना चाहिए ताकि दुर्घटना घटते या उसकी सम्भावना के समय उसका तत्काल प्रयोग हो सके। बाल श्रमिकों को थ्रैशर पर नहीं लगाना चाहिए। केवल उन्हीं व्यक्तियों को कार्य पर लगाना चाहिए जो प्रशिक्षित हों तथा मशीन को सावधानीपूर्वक प्रयोग में ला सकते हों। श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इस दिशा में हरियाणा में कृषि ज्ञान केन्द्र तथा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित 'थ्रैशर सुरक्षा आन्दोलन' अनुकरणीय हैं। इन दुर्घटनाओं के संबंध में अन्य विस्तृत अध्ययनों की भी आवश्यकता है ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाकर उनकी सम्भावनाओं को न्यूनतम किया जा सके। हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने समुचित विस्तृत अध्ययन के लिए दिल्ली स्थित अस्पतालों का सहारा लिया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक दुर्घटना-ग्रस्त व्यक्ति से आवश्यक जानकारी ली जाएगी तथा उसका प्रयोग दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपाय खोजने के लिए किया जाएगा। यह अध्ययन थ्रैशर-दुर्घटनाओं के नियंत्रण में सहायक होगा, ऐसी आशा की जाती है। □

तेल की हर बूंद कीमती है इसे बचाइए !

राष्ट्रीय जीवन में सहकार भावना आवश्यक

श्रीमती इन्दिरा गांधी

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1 अक्तूबर को नई दिल्ली में भारतीय सहकारिता आंदोलन के प्लेटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस आन्दोलन की शुरुआत साधारण ढंग से हुई थी, पर अब यह आंदोलन विशाल आकार ग्रहण कर चुका है। साढ़े तीन लाख सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं जिनकी सदस्य संख्या 10 करोड़ है। यह कोई मामूली सफलता नहीं है। सहकारिताएं अलग-अलग प्रकार की रही हैं और सभी अपने सदस्यों को एक समान ढंग से प्रभावित नहीं करतीं। शहरी क्षेत्रों में सहकारी स्टोर अनेक नागरिकों के लिए अपनी जरूरत की चीजें खरीदने का स्थान हैं जबकि कुछ उत्पादक सहकारिताएं अपने सदस्यों को सम्पूर्ण जीविका प्रदान करती हैं।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि जवाहरलालजी का सहकारिता आंदोलन में गहरा विश्वास था। उनके लिए सहकारिता, आर्थिक कार्य-कलाप का दूसरा स्वरूप नहीं था बल्कि लोकतंत्र में भाग लेने वाले नागरिकों का रवैया कैसा हो, यह दर्शाने का साधन है। उनका कहना था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की सम्पूर्ण धारणा ही व्यक्तियों के सहयोगी प्रयास पर अवलंबित है, क्योंकि व्यक्ति ही राज्य में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने और समृद्धि प्राप्त करने के लिए रहता है। हमारी पंचवर्षीय योजना में सहकारिताओं को विशेष महत्व दिया गया है और ग्रामोत्थान में उनकी क्षमता को उजागर किया गया है। मुझे यहां यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि सहकारिता के पक्के समर्थक होने के कारण मेरे पिता के कई कट्टर शत्रु बन गए थे, जिन्होंने आज तक भी उन्हें माफ नहीं किया है।

यद्यपि बहुत से लोग अभी तक यह विश्वास करते हैं कि मुनाफा कमाना एक दैवी अधिकार है फिर भी पूंजीपति कहे जाने वाले कई राष्ट्रों में आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा राजकीय अथवा सहकारिता के क्षेत्र में है। अमेरिका और जापान के कृषि क्षेत्र में सहकारिताओं की भूमिका सुपरिचित है। सहकारिता के पीछे मूल सिद्धांत मानवमात्र में, मानव की निर्माण क्षमता में और भागीदार बनने में आस्था है। सहकारिता के आंदोलन को बढ़ावा देकर हम यह उम्मीद करते हैं कि इससे लोगों की संगठन और प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी और यह प्रशासन के लिए प्रशिक्षण स्थल के रूप में काम देगा। इसी कारण हमने लोकतांत्रिक सरकार के अपने दर्शन में सहकारी समितियों को पंचायती राज संस्थाओं से जोड़ दिया है।

सहकारिता आंदोलन में कुछ उल्लेखनीय सफलताओं के कारण, उदाहरण के तौर पर डेयरी आंदोलन में सहकारिताओं की भूमिका के कारण विश्वभर का ध्यान हमारी ओर गया है। सफलताओं के विश्लेषण से पता चलता है कि इस आंदोलन के बीज जागरूक और निःस्वार्थ तथा सेवा भावना से काम करने वाली कई हस्तियों ने बोये थे। बहुत सी सफलताएं इस वजह से विफलताओं में बदल गईं क्योंकि मूल भावना समाप्त हो गई तथा व्यक्तियों और गुटों ने संस्थाओं के साधनों का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने अथवा सत्ता संभालने के लिए संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। सदस्य की प्रबंधकीय क्षमता का अभाव तथा गुटों के रूप में काम करने की प्रवृत्ति हमारे सहकारिता आंदोलन के सुचारू ढंग से न चलने का प्रमुख कारण है। अन्य खामी यह है और जिसका जिक्र मेरे पिता ने लगभग 25 वर्ष पहले राष्ट्रीय विकास परिषद में किया था कि अमीर इस आंदोलन का लाभ उठा रहे हैं और वे गरीबों को मदद पहुंचाने में अड़चन डालते हैं।

सहकारिताओं को आधुनिक वाणिज्यिक सिद्धांतों पर चलाया जाना चाहिए पर फिर भी उन्हें केवल सदस्यों के लिए मुनाफे की बात ही नहीं सोचनी चाहिए बल्कि पूरे समाज के लाभ का भी ख्याल रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कुछ व्यक्तियों के एक समूह के संगठित प्रयत्नों से यदि किसी चीनी सहकारिता समिति में समृद्धि आती है तो इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि इस समृद्धि को किस प्रकार व्यापक रूप से बांटा जा सकता है यानी किस तरह उपभोक्ताओं तक को लाभ पहुंचाया जा सकता है। सहकारिता संगठनों को प्रौद्योगिकी के कारण आने वाले परिवर्तनों की अपेक्षा के अनुसार भावी निवेश करने पर भी विचार करना चाहिए। सहकारी समितियों को प्रबंधकीय और प्रौद्योगिकी प्रतिभा के प्रसारक का रूप ले लेना चाहिए। इसी काम में शिक्षा और प्रशिक्षण का महत्व है। राष्ट्रीय सहकारिता संघ और इस प्रकार की अन्य संस्थाओं के सामने एक स्पष्ट और अच्छी तरह तैयार किया गया कार्यक्रम होना चाहिए जिसका आदर्श आंदोलन का प्रचार-प्रसार हो। साथ ही कथनी की बजाय करनी पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

वास्तव में सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन में सहकारी भावना की आवश्यकता है। तंजानिया जैसे कई देश तो अपनी सारी राजनीतिक व्यवस्था सहकारिता के दर्शन पर बनाना चाहते हैं। हमारी अपनी राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न पार्टियों के बीच प्रतियोगिता निहित है। जहां राजनीतिक दलों को वैकल्पिक नीतियों का प्रचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए वहां लोगों को उनमें से चुनने की भी स्वतंत्रता रहनी चाहिए और इस तरह की पद्धति चलने के बारे में पार्टियों में सहमति होनी चाहिए। □

समग्र ग्राम विकास योजना

राव वीरेन्द्र सिंह

केन्द्रीय कृषि मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह ने 1 अक्तूबर को राष्ट्रव्यापी रेडियो प्रसारण में कहा कि गांधी जयंती पर सारे देश में समग्र ग्राम विकास योजना लागू की जाएगी। इस के अंतर्गत सभी पांच हजार चार विकास खंड आएंगे।

राव वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि यह फैसला देश की 80 प्रतिशत आबादी के लिए बहुत अहमियत रखता है। इस योजना में समाज के सबसे गरीब हिस्से की माली हालत सुधारने के लिए मुखतलिफ तरीकों से आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरिजनों और आदिवासियों को विशेष सुविधाएं मिलेंगी। सिर्फ अनुदान देने से ही गरीब लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है कि स्थानीय साधन पूरी तरह काम में लाए जाएं। हर ब्लाक और जिले के स्तर पर व्यापक पंचवर्षीय योजना तैयार करना भी लाजमी है ताकि इस प्रोग्राम को सफल बनाने में जनता के हर वर्ग का पूरा-पूरा सहयोग मिले।

1978 में समग्र विकास कार्यक्रम 2 हजार विकास खंडों में शुरू हुआ था। इसके बाद इस कार्यक्रम में हर साल 3 सौ नए ब्लाक शामिल किए जाते रहे। अब 2 हजार 900 ब्लाकों में यह चालू है। इस रफ्तार से देश के सभी 5 हजार और 4 ब्लाकों में यह काम शुरू करने के लिए अभी कई वर्ष लगेंगे जिससे बाकी रहे लोगों में मायूसी होना स्वाभाविक है। सरकार की प्रबल इच्छा है कि देश के हर हिस्से में यह लाभदायक प्रोग्राम एक साथ ही लागू कर दिया जाए ताकि सब इलाकों में गरीबों को ऊपर उठने का अवसर जल्द से जल्द मिल सके।

जैसा गांधीजी का कहना था हमारा असली मकसद मानव जाति की सेवा और बेहबूदी है। इस कार्यक्रम के जरिये हम ग्रामीण भारत की सभी कमियों को पूरा करने की व्यवस्था करेंगे। गरीब और जरूरतमंद कुनबों की सूची ईमानदारी से खुद गांववालों की सलाह लेकर तैयार कराई जाएगी ताकि उनकी जिंदगी सुधारने के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर ढूंढे जा सकें और आर्थिक उन्नति के साथ-साथ सामाजिक उत्थान भी हो सके। महिलाओं और बच्चों की तरफ खास ध्यान दिया जाएगा।

इस कार्यक्रम की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है कि ब्लाक स्तर पर इंतजामियां ढांचा कारगर और मजबूत बनाया जाए और गरीबी की खास लड़ाई ब्लाक और जिला स्तर पर एक योजनाबद्ध कार्यक्रम के मुताबिक लड़ी जाए।

कृषि मंत्री ने कहा कि समस्या बड़ी कठिन है। देश के करीब 30 करोड़ व्यक्ति गरीबी की रेखा के अंदर हैं जिनमें से 25 करोड़ देहात में बसते हैं। हरेक ब्लाक में 6 सौ कुनबों की हर साल देखभाल करके अगले 5 वर्षों में हम देश के करीब 8 करोड़ लोगों का जीवन सुधारने की आशा रखते हैं। एक-एक ब्लाक में इस पंचवर्षीय योजना में अगर हम 3 हजार कुनबों को गरीबी के चंगुल से छुटकारा दिला सकें तो यह सरकार का एक सराहनीय काम समझा जाना चाहिए। काम बहुत बड़ा है और एक जबरदस्त चुनौती है। भारत के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर पहली बार गरीबी से सीधा मुकाबला किया जा रहा है। इस लड़ाई में सफलता के लिए सब देशवासियों का पूरा सहयोग अति आवश्यक है, जिसके लिए प्रत्येक ब्लाक में हर भाई बहन को सरगर्मी से काम करना होगा। उन्होंने सभी राज्य सरकारों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सरकारी कर्मचारियों और हर विचार के नेताओं और राजनैतिक कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे राष्ट्र हित में इस प्रोग्राम को कामयाब करने में पूरा योगदान दें।

राव वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि कल गांधी जयंती है। राष्ट्रपिता के जन्म दिन पर हमारे दिल में उनकी और उनके उसूलों की याद ताजा होती है। महात्मा गांधी के दिल में देहात के लिए अटूट प्रेम था और ग्रामीण भारत की समस्याओं से वे पूरी तरह वाकिफ थे। वे हमेशा देहात की उन्नति की तरफ ध्यान दिलाते रहे और उनके सब रचनात्मक कार्यक्रमों का उद्देश्य गांव की गरीबी को दूर करना था। वे चाहते थे कि ग्रामवासी भी स्वतंत्र भारत में अपना बाइज्जत स्थान हासिल करें। इसकी पूर्ति के लिए यह जरूरी था कि गांव में रहने वाली आबादी को रोजगार के साधन मुहैया करके उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाए। गांव की गंदगी दूर करके खूबसूरत बनाया जाए और सेहत, सफाई व खुशहाली का वातावरण पैदा किया जाए।

इन ऊंचे आदर्शों को सामने रखकर स्वर्गीय पं. जवाहरलाल नेहरू ने आज से ठीक 28 साल पहले 2 अक्तूबर के दिन सामुदायिक विकास आंदोलन यानी कम्यूनिटी डेवलपमेंट मूवमेंट की शुरुआत की, जिसका मकसद देहाती जीवन में पूरी तरह परिवर्तन लाकर गांधीजी के स्वप्नों को साकार बनाना था। तब से अनेक योजनाएं बनीं जिनका झुकाव कभी विकास के किसी क्षेत्र की तरफ और कभी किसी की तरफ होता रहा। लेकिन सबका निशाना एक ही था कि गांव के गरीब तबके का उद्धार हो।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने पंडितजी के शुरू किए हुए कामों को अपनाया और नए कार्यक्रमों के लिए उनका विस्तार किया जिससे छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों की मदद की जा सके। उन्होंने गरीबी हटाओ आंदोलन शुरू किया और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को नई दिशा दी। पिछले 10 वर्षों में इन योजनाओं के तहत देश के गरीब किसानों और मजदूरों को काफी सहायता मिली है। ग्रामीण जनता के लिए बहुमुखी विकास के लिए सूखे इलाकों, आपाशी की जमीनों और रेगिस्तान के लिए (ड्राउट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम) जैसे नए कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इनके अलावा छोटे किसानों के लिए एस. एफ. डी. ए. और देहात में विकास के साधन जुटाने के लिए इंटीग्रेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम भी शुरू हुए। नौजवान लड़के-लड़कियों की ट्रेनिंग के लिए एक योजना बनाई गई ताकि हर ब्लाक से एक साल में 40 व्यक्ति ट्रेनिंग लेकर सरकार की सहायता से कोई धंधा शुरू करके अपने पैरों पर खड़े हो सकें। □

राजस्थान में मंडी नियमन

डा० महेन्द्र मधुप

यद्यपि भारत की अर्थ-व्यवस्था का मेरुदण्ड कृषि है, किन्तु सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इसे कभी उद्योग की परिभाषा में नहीं लिया गया। सदियों से किसान उपेक्षित रहा और आज भी उसे यह पता नहीं कि उसे लागत मूल्य मिलेगा या नहीं। सपाट भाषा में कहें तो किसान की उत्पादन लागत का मूल्य कभी आंका ही नहीं जाता।

आजादी के बाद सारे देश में नियमित मंडी व्यवस्था ने बिचौलियों द्वारा किसान के शोषण के खिलाफ आंशिक जंग छेड़ी है। यह जंग लगभग सारे हिन्दुस्तान को अपने घेरे में ले चुकी है, किन्तु आज भी लगता है सफर लम्बा है, अभी बहुत थोड़ा रास्ता पार किया है। नियमित मंडी व्यवस्था देश के 22 राज्यों में से 18 राज्यों में लागू हो चुकी है। मंडियों का नियमन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। विपणन और निरीक्षण निदेशालय केन्द्र और राज्य सरकारों को कृषि विपणन की समस्याओं के बारे में सलाह देता है। विपणन सम्बन्धी कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने के बारे में भी निदेशालय सलाह देता है। जून, 1978 तक देश में नियमित मंडियों की संख्या करीब 3819 थी। निदेशालय विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों को कृषि विपणन में प्रशिक्षण भी देता है। अब तक लगभग साढ़े पांच हजार लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

नियमित मंडी व्यवस्था

राजस्थान में नियमित मंडी व्यवस्था के लिए कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत 1963 में नियम बनाए गए तथा 1964 में नौ कृषि उपज मंडी समितियों के गठन से मंडी नियमन का कार्य प्रारंभ हुआ। इन मंडी समितियों द्वारा ही घोषित कृषि जिन्सों के व्यापार के नियमन की पूरी व्यवस्था की जाती है। समिति के 15 सदस्यों में से 7 कृषक, 2 व्यापारी, 2 सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, 2 स्थानीय निकाय संस्था के और 2 राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। इसके गठन में कृषकों को अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्व इसलिए दिया गया कि बहुमत में होते हुए भी वह सदैव असंगठित रहा।

मंडियों के नियमन से आवक के बड़े भाग की खुली नीलामी होती है। पुराने और गैर-वाजिब खर्चे काटने बन्द कर दिए गए। आढ़त और मंडी शुल्क क्रेता द्वारा देय है। कीमत का भुगतान माल बेचने के बाद करने की व्यवस्था है।

तौल मंडी के लाइसेंसधारी तौलारों द्वारा किया जाता है। तौल के आधार पर विक्रय पर्ची बनाकर क्रेता और विक्रेता के अलावा मंडी समिति कार्यालय को दी जाती है। इस तरह विभिन्न प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने और नियंत्रण रखने से ग्रामीण विकास का नया अध्याय आरंभ हुआ।

ग्रामीण समृद्धि के लिए किसान की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सारे राजस्थान को नियमित मंडी अभियान की परिधि में लेने तथा भंडारण व्यवस्था के लिए मुख्य और गौण मंडियों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। प्रयास यही है कि उत्पादक किसान को 10 किलोमीटर से अधिक दूर माल बेचने न जाना पड़े।

किसान राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम के गोदामों में माल जमा कर, प्राप्त रसीदों को क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में रहन रख कर बाजार मूल्य का 75 प्रतिशत तक का ऋण ले सकते हैं। पहले समितियां अपने सदस्यों को 75 प्रतिशत धन राशि अग्रिम देकर उपज बिकवाती थीं। समितियां रहन रखी गई रसीदों को जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक में रहन रख कर उनसे धन राशि प्राप्त करती हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक से लिए जाने वाले ऋण पर लगने वाले ब्याज से एक प्रतिशत अधिक किसान से लिया जाता है। यदि किसान इन समितियों का सदस्य बन कर छह माह के लिए ऋण ले और इनके माध्यम से बिक्री करता है तो ब्याज में दो प्रतिशत की छूट दी जाती है। यों ऋण इन समितियों का सदस्य बनने पर ही किसान को मिलना है। इस प्रक्रिया से किसान को प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य दिलाने की प्रक्रिया में तेजी आई है।

कृषि विपणन बोर्ड

किसान का नियमित मंडी की ओर झुकाव देख कर राज्य सरकार ने 1967 में श्री यशवन्त सिंह नाहर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसे विपणन अधिनियम और नियमों की अनुपालना में व्यापारियों द्वारा बतलाई गई कठिनाइयों की जानकारी करने तथा इनका निराकरण कर नियमन योजना में गतिलाने हेतु सुझाव देने का कार्य सौंपा गया। इस समिति की सिफारिश पर 6 जून, 1974 को राज्य स्तरीय स्वायत्तशासी संस्था राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। इसमें 24 सदस्य रखे गए। इनमें से 10 मंडी समितियों के अध्यक्ष, 2-2 व्यापारी और जन प्रतिनिधि, 1 अर्थशास्त्री और नौ राज्य सरकार से सम्बद्ध अधिकारी हैं।

राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर मई 1980 में कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना की गई। कृषि विपणन निदेशक कृषि विपणन बोर्ड के भी सदस्य हैं।

राज्य में 126 मुख्य और 188 गौण मंडियां हैं। इन मंडियों को किसान ने मन से स्वीकारा है। अतः 1974-75 में जहां आवक 141 लाख क्विंटल थी, वहां 1979-80 में दुगनी से भी अधिक 327 लाख क्विंटल हो गई। 1974-75 में मंडी शुल्क से आय 346 लाख रु० थी,

जो अप्रैल 1977 में अधिघोषित कृषि जिन्सों की संख्या 172 से घटा कर 112 करने के बावजूद 1979-80 में 877 लाख रु० हो गई।

राज्य में 1974-75 में केवल 42 मंडी यार्डों के पास स्वयं के भूखंड थे। यह संख्या बढ़ कर 68 हो गई है। बैंकों द्वारा मंडी निर्माण के लिए 56 परियोजनाएं कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम को प्रस्तुत की गई। इनमें से 1850 लाख रुपये की 39 परियोजनाएं निगम द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं। इनमें बैंकों से प्राप्त होने वाला ऋण 1288 लाख रुपये है। मार्च, 1980 तक 447 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हो चुका है। मंडी निर्माण के लिए 52 मंडियों हेतु केन्द्रीय अनुदान के रूप में 186.50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इनमें से 116.50 लाख रुपये गत वर्ष तक प्राप्त हो चुके हैं। सात मंडियों के लिए 25.50 लाख रुपये के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त चम्बल क्षेत्र की 8 मंडियों के लिए 50 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

सत्तर मंडियों में निर्माण कार्य चल रहा है। नौ नई मंडियों—जोधपुर (अनाज), जोधपुर (फल-सब्जी), सुमेरपुर, फतहनगर, विजयनगर, केकड़ी, निम्बाहेडा, मेडतासिटी तथा जयपुर (अनाज) में व्यापार स्थानान्तरित हो चुका है। नौ-दस मंडियों में शीघ्र ही व्यापार स्थानान्तरित हो जाएगा।

मंडी निर्माण कार्य पर 1979-80 तक 2465 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। अगले सात-आठ साल में सौ मंडियां और बन जाएंगी। सतरह मंडियों में पहले से ही काम चलाऊ सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस प्रकार वर्ष 1987-88 तक 126 मंडियां विकसित हो पाएंगी।

209 अविकसित मंडियों के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्ति हेतु 5335 लाख रु० की परियोजना बनाई गई है। इसमें से 4511 लाख रु० विश्व बैंक से प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है।

सम्पर्क सड़कें

सम्पर्क सड़कें ग्रामीण विकास की धमनियां हैं। इनसे उपज को सरलता और कम लागत से मंडियों में लाना संभव हो सकेगा। बोर्ड की स्थापना से 1979-80 तक इनके निर्माण पर 818 लाख रु० व्यय कर 707 किलोमीटर सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया गया।

राज्य सरकार ने लगभग 22 करोड़ रुपये की लागत से 1750 किलोमीटर सम्पर्क सड़कें बनाने के लिए मास्टर प्लान को स्वीकृति दी है। अब तक बोर्ड ने 1097 करोड़ रुपये की लागत से 117 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। मंडी समितियों ने सम्पर्क सड़कों हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को 252 लाख रुपये भेज दिए हैं। इनमें से 238 लाख रुपये खर्च कर दिए गए हैं। बोर्ड ने 29 मंडियों को 353 लाख रुपये की लागत के 52 कार्यों के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।

'काम के बदले अनाज' योजना में सड़कें आदि बनाने के लिए 38 मंडी समितियों को 1 करोड़ 62 लाख रुपये राज्य सरकार को भजने थे। इनमें से 90.79 लाख रुपये भिजवाए जा चुके हैं। शेष राशि भिजवाई जा रही है।

तीन हजार किलोमीटर लम्बी सम्पर्क सड़कें बनाने हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्ति हेतु पचास लाख रुपये की योजना बनाई गई है।

कृषि विपणन सम्मेलन

यह सब कुछ हुआ। सर्वत्र इस प्रगति यात्रा की सराहना हुई, किन्तु किसान भाइयों की खुशहाली के लिए बहुत कुछ नहीं हुआ। इस पर आमने-सामने बैठ कर विचार-विमर्श करने के लिए अधिकारी वर्ग, किसान वर्ग और व्यापारी वर्ग में 12 और 13 सितम्बर को जयपुर में राज्य स्तरीय कृषि विपणन सम्मेलन में बेलाग बातचीत हुई।

गोष्ठियों की सिफारिशें

दो दिन तक अधिकारियों, किसानों और व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने छह समूहों में विचार किया। इनके प्रतिवेदनों पर खुले अधिवेशन में राज्य के कृषि मंत्री की अध्यक्षता में विचार कर सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया गया।

अधिनियम और नियम, प्रचार प्रसार, प्रशिक्षण, वर्गीकरण और मंडी परिज्ञान, मंडी नियमन का प्रभावीकरण, मंडी विकास परियोजनाओं एवं निर्माण सम्बन्धी कार्य, प्रशासन तथा लेखा और अंकेक्षण के रूप में अलग-अलग सिफारिशों को प्रस्तुत किया गया।

अधिनियम और नियमों पर विचार करने वाले समूह ने अपनी सिफारिशों में मंडी समिति में किसान का प्रतिनिधित्व दो तिहाई करने, मंडी समिति द्वारा दायर मुकदमों का निपटारा समरी ट्रायल के रूप में करने, कृषक विक्रेता को उसका भुगतान उसी दिन करने का प्रावधान अधिनियम में किए जाने, किसी व्यक्ति से अनधिकृत खर्चे मंडी में न काटे जाने तथा मंडी शुल्क के भुगतान में विलंब पर किसी सीमा तक मात्र जुर्माना रखने आदि की सिफारिशें की।

प्रचार प्रसार समूह ने कृषि विपणन बोर्ड के अधीन सुगठित क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां बनाने की सिफारिश की, जिससे दूरदराज के छोटे किसानों तक सघन प्रचार कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा जा सके। मंडी परिज्ञान हेतु समूह ने बाजार भावों के प्रचार के लिए मंडी परिज्ञान केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर सौ करने की सिफारिश की।

भावी योजना

छठी पंचवर्षीय योजना में मंडी प्रांगण निर्माण के लिए 3160 लाख रुपये तथा सार्वजनिक निर्माण हेतु 1756 लाख रुपये व्यय होंगे। तीन करोड़ की लागत से खेत स्तर पर धातु के बने स्टोरेज बिन कृषि उत्पादकों को अनुदान देकर कम कीमत में उपलब्ध कराने, कीटनाशक दवाइयों एवं स्पेयर्स और डस्टर्स के वितरण, मंडियों में अनाज की आवक को साफ करने और वर्गीकरण करने, बोरियों में भरने तथा तुलाई और टांका लगाने का कार्य मशीनों द्वारा किए जाने के यंत्र मंडियों में लगाने तथा वर्गीकरण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

छठी योजना में 20 एगमार्क प्रयोगशालाएं बनाने का लक्ष्य है। फिलहाल राजस्थान में ऐसी पांच प्रयोगशालाएं हैं। □

कृषि-ऋण की नवीन नीति क्या हो ?

जे० एस० गुप्ता

भारत एक कृषि प्रधान देश है। अतः कृषि के विकास से ही देश के ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति तथा औद्योगिक विकास संभव है। आज के कृषक ने काफी प्रगति की है। वह उन्नत बीजों, उर्वरकों तथा सिंचाई का अधिकतम लाभ ले रहा है। नवीन कृषि नीति के अन्तर्गत भारतीय किसान की ऋण आवश्यकताएं काफी बढ़ गई हैं।

कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थागत स्रोतों से पर्याप्त पूर्ति हो सके इसके लिए 1968 में बैंकों का सामाजिक नियंत्रण किया गया, परन्तु यह अधिक प्रभावशाली नहीं रहा। भारत सरकार ने जुलाई, 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। कृषि विकास पर साख का तेजी से प्रभाव पड़े, इसके लिए स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों को भी प्रोत्साहित किया गया।

अभी तक कृषि साख का लाभ बड़े किसानों को ही मिला है। छोटे किसान कृषि साख से अधिक लाभ नहीं उठा पाए हैं। लघु किसानों को कृषि साख का का लाभ मिल सके, इसके लिए शासन द्वारा लघु विकास अभिकरणों की स्थापना की गई है।

ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जा रही है, जो छोटे किसानों और श्रमिकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएंगे। ग्रामीण बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लघु कृषकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करें। किन्तु खेदजनक स्थिति यह है कि भारत सरकार के व्यापक प्रयत्नों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि साख की समुचित व्यवस्था का अभाव है। भारतीय किसान अशिक्षित है। वह बैंक सुविधाओं के लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो ऋण पद्धतियां चल रही हैं, उनसे वह अनभिज्ञ है। बैंक आदि की पद्धतियां जटिल हैं। उनसे किसान घबराते हैं। इस सम्बन्ध में उन्हें पंचायतों, बड़े किसानों अथवा शिक्षित ग्रामीणों से मार्गदर्शन मिलना चाहिए। साख संस्थाओं की ऋण पद्धति भी सरल होनी चाहिए।

छोटे किसानों को जो ऋण सहकारी समितियों या बैंकों से प्राप्त हो उसका उचित उपयोग होना आवश्यक है तथा समय पर ऋण की वापसी होना भी उतना ही आवश्यक है। किसानों को ऋण ग्राम में ही उपलब्ध होना चाहिए। उन्हें अपने निवास स्थान से दूर ऋण प्राप्त करने में काफी विलम्ब तथा कठिनाई आती है। इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सहकारी साख संस्थाओं तथा ग्रामीण बैंकों की अधिकाधिक शाखाएं खुलनी चाहिए।

सहकारी बैंक, सहकारी समितियों तथा ग्रामीण बैंकों में समन्वय होना चाहिए वैसे ग्राम स्तर पर एक संस्था अधिक सफल और सही तरीके से कृषकों का मार्ग दर्शन कर सकती है। एक संस्था के काम करने से प्रशासन के व्यय में काफी कमी हो जाती है। कृषकों की सभी प्रकार की मांगों के वास्ते ऋण यदि ग्राम में ही उपलब्ध हो जाता है, तो यही उत्तम रहेगा। ऋण के उचित उपयोग के लिए जांच भी कराई जानी चाहिए। कृषकों को ऋण तथा नवीन कृषि नीति से समय-समय पर अवगत कराते रहने की भी जरूरत है। इसका लाभ यह होगा कि कृषकों को अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

यहां यह भी सुझाव देना उचित रहेगा कि साख संस्थाओं के सफल संचालन हेतु न केवल शासन और साख संस्थाओं की नीति में परिवर्तन आवश्यक है, इसके साथ-साथ लेनदारी के व्यवहार, विचार और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। अल्पकालीन तथा दीर्घ कालीन ऋण यदि एक ही संस्था द्वारा दिया जाए तो अति उत्तम रहेगा।

संक्षेप में हमारे देश में कृषकों के लिए ऋण की नीति बहुत ही सरल होनी चाहिए क्योंकि वह सीधे-साधे और अशिक्षित होते हैं। □

छोटा परिवार
सुखी परिवार

ग्रामीण आत्मा को कैसे पहचानें

ताजबर सिंह रावत

आज वह समय है जब हमारे गांव का किसान अपने गांव का चहुंमुखी विकास देखना चाहता है। वह चाहता है कि वहां का माहौल ग्रामीण ढंग से ही विकसित किया जाए शहरी ढंग से नहीं, क्योंकि ग्रामीण स्वछन्दता, किसानों की आजादी, परिवारों का आपसी संबंध इन सब में ग्रामीण किसान स्वयं को फलते-फूलते देखना चाहता है। आज का किसान वर्ग गांवों को शहरों में बदलते नहीं देखना चाहता है। वह तो केवल सामाजिक, शैक्षिक तथा उत्पादन का विकास अपने गांव में देखना चाहता है। दिल्ली के गांवों के कुछ किसानों से मिलने पर उन्होंने बताया कि हम ग्रामीण आनन्द को शहरी परिवेश में नहीं बदलना चाहते हैं, क्योंकि गांवों में आपसी मेल-जोल से काम होता है शहरों में इतनी ग्रामीण उन्मुक्तता नहीं होती है।

दिल्ली आई० आई० टी० का ग्रामीण विकास केन्द्र इस सम्बन्ध में काफी अच्छे प्रयोग कर रहा है। इसमें "ग्रामीण आत्मा को बचाओ" कार्यक्रम के अन्तर्गत डा० एस० वी० पटवर्द्धन का कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय कहा जाएगा। इसमें सर्वप्रथम उन गांवों को लिया गया है जो शहर के नजदीक रहकर धीरे-धीरे विकास कर रहे हैं लेकिन उनमें जरा भी शहरीपन नहीं आया है और अपने ही परिवेश में सुखद विकास की ओर बढ़ रहे हैं।

डा० पटवर्द्धन ग्रामीण विकास के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने दिल्ली-हरियाणा सीमा से लगे गांव गवाल पहाड़ी में अपने इस प्रयोग को कार्यान्वित किया है। नैसर्गिक सौन्दर्य के साथ ही गवाल पहाड़ी धीमी गति से लेकिन शान्तिपूर्वक ढंग से विकास कर रहा है।

गवाल पहाड़ी ग्वालों का एक गांव है जिसकी आबादी 800 है। इसमें 109 परिवार रहते हैं। कुल भूमि 500 हेक्टेयर है। डा० एस० वी० पटवर्द्धन ने, जो आई० आई० टी० ग्रामीण विकास केन्द्र के निदेशक हैं, एक भेंट में बताया कि गांवों का विकास ग्रामीण परिस्थितियों के अन्तर्गत किया जाना चाहिए जिसमें जरा भी शहरीपन नहीं आना चाहिए। यदि गांवों का शहरीकरण किया गया तो फिर वे गांव कैसे रह सकते हैं। उनमें ग्राम विकास की प्रक्रिया तभी साकार हो सकती है जब वह अपने आत्मिक स्वरूप के अनुसार विकास करेंगे।

उन्होंने बताया कि गांवों का विकास एक ऐसी सीमा के अन्तर्गत किया जाना चाहिए कि ग्रामीण युवकों को वहां पर उचित शिक्षा, रोजगार और भरपूर अन्न मिल सके। वहीं पर उनके साधनों का पर्याप्त उपयोग हो जो ग्रामीण गरीबों की भलाई के लिए होना चाहिए। वहां पर जो वस्तु अधिक मात्रा में पैदा होगी उसे गांव के सहयोग से ही उचित दामों पर बेचा जाए और उसका भरपूर लाभ ग्रामीणों को पहुंचे। यदि यही बात हर गांव में दोहराई जाए तो निस्सन्देह हमारे गांव विकास करेंगे।

एक दिन उन्होंने मुझे गवाल पहाड़ी पर अपना कार्यक्रम दिखाया। गांव को जोड़ता हुआ पुल, पैंडल पम्प, रास्तों की सफाई, उचित जल वितरण और निकासी ग्रामीणों के लिए महज एक वरदान ही सिद्ध हुआ है।

गवाल पहाड़ी में ग्रामीणों को स्वच्छ जल वितरण और कुओं की सफाई करना सिखाना, उन्हें चिकित्सा आदि उपलब्ध कराना भी उनके कार्यक्रम का एक अंग है।

ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था संजोने के लिए गवाल पहाड़ी में दूध संग्रह केन्द्र बनाया गया है जिसमें किसान अपना दूध संग्रह करके आई० आई० टी० केन्द्र पर लाते हैं, जहां उचित कीमत पर इस दूध का वितरण किया जाता है। इससे ग्रामीण किसानों को अपनी इच्छा के अनुसार दाम मिल जाते हैं। गवाल पहाड़ी के ग्रामीणों में आत्म विश्वास, त्याग की भावना तथा ग्राम निर्माण और विकास की भावना पैदा हो गई है। उनको विश्वास है कि वह अपने को मिलने वाली सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएंगे।

इस योजना में गवाल पहाड़ी को लेने के प्रमुख कारणों में उसकी प्राकृतिक सुन्दरता भी एक है। वह शहर की अपेक्षा ग्रामीण प्रकृति के अधिक निकट है। गांवों में सफाई और निकासी का उचित प्रबंध किया जा रहा है। उन्हें शुद्ध जल, स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं।

ग्रामीण इस बात को देखकर बहुत खुश हैं कि उनके कुओं से पानी निकालते समय कुएं की दीवारों से होते हुए जो पानी सड़कों पर बिखर जाता था, उसकी निकासी के लिए कुएं पर सफाई नालियां बनाई गई हैं ताकि वह पानी बेकार न जाकर खेतों में जाए और सिंचाई का काम दे। इससे गांव की गलियों में फिसलने का भी डर नहीं रहेगा।

डा० पटवर्द्धन ने विश्वास दिलाया कि यदि आज के युवकों, ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं तथा विशेषज्ञों को सही रूप से ग्रामीण विकास करना है तो उन्हें सर्वप्रथम ग्रामीण आत्मा को पहचानना होगा। बिना ग्रामीण आत्मा, ग्रामीणों के शान्तिप्रिय संसार को पहचाने ग्रामीण विकास का पाठ अधूरा रह जाएगा। आज हमारे ग्रामों को ऐसे ही विकास कार्यों की परम आवश्यकता है। □

एक बूंद आंसू

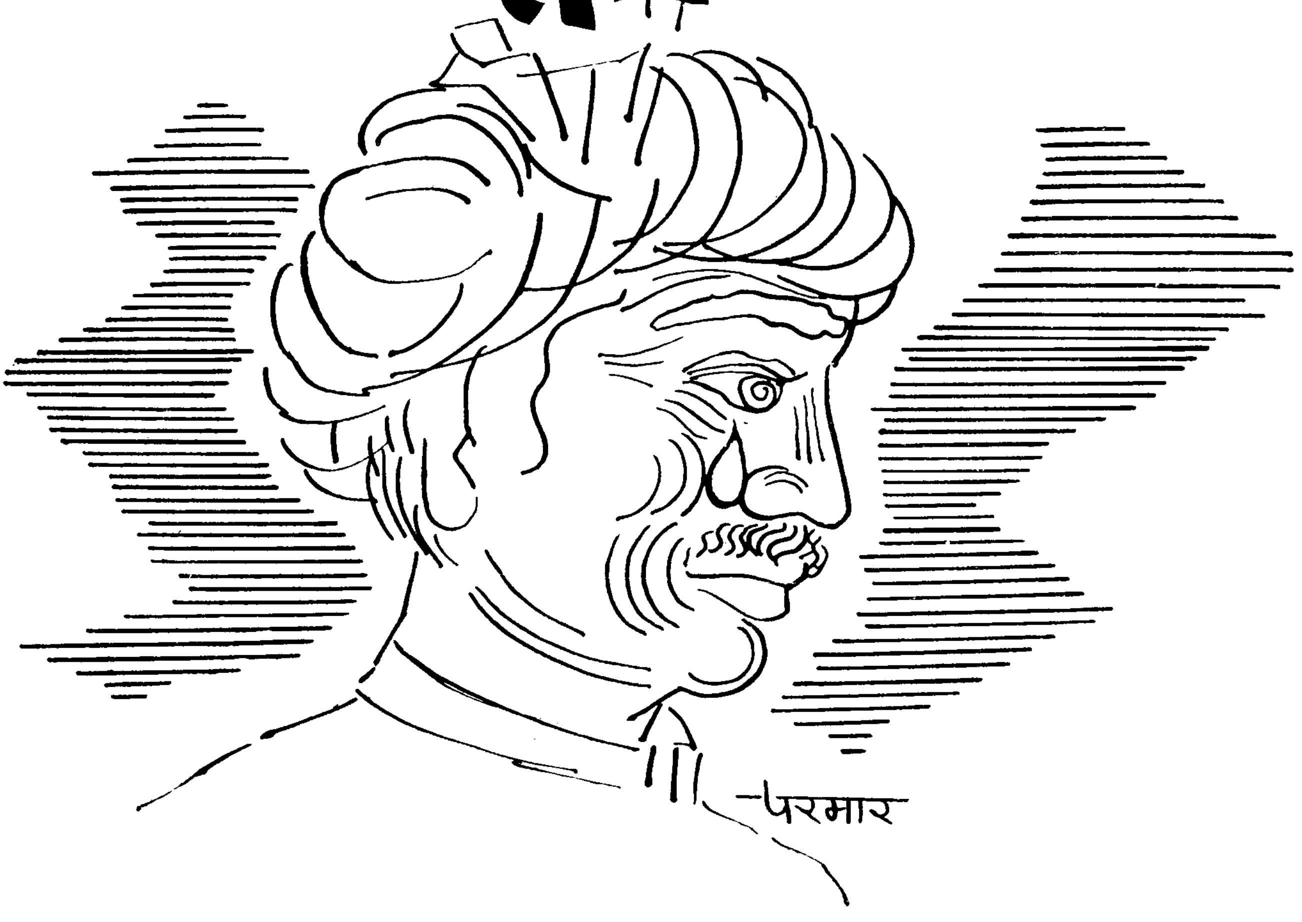

चन्द्रदत्त 'इन्दु'

बादल अभी-अभी बरस कर पूरी तरह निचुड़ भी नहीं पाया था। धान की अलौतियों से वर्षा की बूंदें विरहिन के आंसुओं की तरह धीरे धीरे टपक रही थीं। नीचे उसारे में अधेड़ चौधरन चिन्ता मग्न बैठी अलौतियों से टपकने वाली बूंदों को ध्यान में देख रही थी। हर एक बूंद के साथ चौधरन की वेदना का तनाव उभरता-गिरता सा लग रहा था।

पास ही उसारे के दूसरी ओर दो दीवारों के कोने पर एक छप्पर टांग दिया गया था। छप्पर के नीचे रामधन की भैंस बंधी थी। रामधन सानी करने में लगा था। सानी करके रामधन बाहर आया। उसारे में जमा वर्षा के पानी में अपने हाथ धोने लगा। हाथ धोकर पोंछने की उसने जरूरत नहीं समझी। वहीं खड़े खड़े अपनी पत्नी को आवाज लगाई। "मैंने कहा चौधरन, जरा हुक्का ही उठाकर दे जाओ। चिलम ही गरमा लूं। इस साल भगवान ने तो बस हद ही कर दी। पूरा पखवाड़ा बीतने को आया, इन्दर भगवान थमने का नाम ही नहीं ले रहे। लगता है, आज भी खेतों पर जाना नहीं होगा। जाया भी कैसे जाए, रास्तों पर तगड़ी-तगड़ी पानी खड़ा है।" एक ही सांस में रामधन ने पूरी बात दोहरा दी, मगर अन्दर से कोई उत्तर न पाकर उसे बड़ी निराशा

हुईं। उसने फिर स्वर में मिठास भरकर तनिक जोर से कहा—"मैंने कहा सुलोचना की मां, जरा सुनती हो। अरी, भलीमानस कभी-कभी तो पति सेवा का धरम उठा लिया करो।"

उत्तर फिर भी नदारद था। रामधन चौधरन की इस लापरवाही से खीज उठा। उसने सानी का बर्तन धोकर एक ओर रख दिया। फिर हुक्का उठाने चला। चौधरन अभी भी अलौतियों की बूंदों को देखे जा रही थी।

"क्यों क्या बात है सुलोचना की मां? क्या सोच रही हो? चिलम की छोड़ो, तुमने तो चूल्हा भी नहीं गरमाया। पेट में चूहे कलाबाजियां लगा रहे हैं। क्या आज कोई व्रत-उपवास है?" इतना कहते हुए रामधन थोड़ा पत्नी के पास खिसक आया। उसके चेहरे की ओर देखा, तो ऐसे उछला, जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। बोला—"अरे तुम्हारी आंखों में आंसू। क्यों क्या हुआ?"

"तुम्हें इससे क्या। आंखों में आंसू आएं या खून। तुम्हें कौन पोंछने पड़ रहे हैं।" चौधरन ने ओढ़नी के पल्ले से आंखों की कोर में उलझे हुए एक दो आंसुओं को पोंछते हुए, नई दुलहिन की तरह तुनकते हुए कहा।

"मगर पता तो चले, आखिर ऐसी कौन सी गाज गिर पड़ी। मैंने तो कुछ कहा नहीं।" इस बार रामधन के स्वर में गृहस्वामी का स्वाभिमान उभर आया था।

"गाज कौन पड़ी है। यह तुम जानते हो . . .।" कहते हुए चौधरन की आवाज भर्रा गई। लगता था, चौधरन के धैर्य के बांध में इतनी दरारें पड़ गई थीं कि आंसुओं के बहाव को वह रोक न सकीं। फूट फूट कर रोने लगीं।

"रोने से कौन मतलब हल हो जायेगा कुछ बताएगी, तो सोचूं। और न ही बताने की कसम खाली है, तो तू जाने, तेरा राम जाने। अपन तो चले। खेतों का ही एक चक्कर काट आऊं।" कहते हुए रामधन ने चादर कंधे पर रख ली।

चौधरन को लगा, जैसे पति जान-बूझ कर उसकी उपेक्षा कर रहा है। वह रामधन के हठी स्वभाव से परिचित थी। सोचने लगी, "इस तरह तो सरासर मेरी हार है। रामधन एक बार घर से निकला, तो शाम तक वापस लौटेगा नहीं।" बात तो चौधरन को बतानी थी ही। तुरन्त पैंतरा बदलकर बोली—"भूखे पेट घर से जाओगे। क्या घर में दूध-दही नहीं? रात की रोटी भी रखी हैं। कहो, तो ताजी रोटी सेंक दूं?

रामधन थोड़ा झिझका। उसे लगा, जैसे बाढ़ का पानी उतार पर आ गया है। बोला—रोटी तो मैं खा लूंगा, मगर तू बताती क्यों नहीं, क्या हुआ?

चौधरन अन्दर गई। एक कटोरे में दूध और दो रोटी ले आई। रामधन ने पास पड़ी खाट बिछा ली। उस पर बैठ गया। चौधरन से बोला "खड़ी क्यों है। आ, तू भी खाट पर बैठ जा। भली मानस, सुबह-सुबह यह शिकवा-शिकायत ठीक नहीं, बड़ी मुश्किल से बादल आज कुछ थमा है, तो तू रोने लगी। ऐसे कैसे काम चलेगा।"

चौधरन खाट पर एक ओर बैठ गई। बोली —"मुझे चिढ़ाते हो। मैं रोकर अपने कर्मों को कोस रही हूं। भगवान ने ले-देकर नसीब में एक छोकरी दी, मगर उसका भी भाग्य पोच है।"

"पोच कैसे है। क्या नहीं है सुलोचना के पास। अच्छा घर, अच्छा वर ढूंढ़कर दिया है। रानी बनकर रह रही है तेरी बेटी। और बोल, तुझे क्या चाहिए?" रामधन ने दूध के घूंट के साथ गले में रोटी के कौर को नीचे उतारते हुए कहा।

"क्या खाक रानी है। कल लछमन का छोरा लल्ली की सुसराल के पास से आया था। कह रहा था, इस बार जमना की बाढ़ से उस ओर के गांव तबाह हो गए हैं। भगवान न जाने, मेरी बच्ची का क्या हाल होगा। मैंने पहले ही कहा था कि खादर में लड़की न ब्याहो, मगर मेरी कौन सुने। अपनी जिद पूरी करके रहे।" चौधरन ने उसांस भरी। फिर ओढ़नी के छोर से आंखों को पोंछने लगी।

"इसमें कोई क्या कर सकता है। बाढ़ तो आती जाती ही रहती है। तेरे गांव में वर्षा ने कौन कमी छोड़ी है। सारी फसल चौपट करके रख दी। भगवान की माया है। बाढ़ आई है, उतर जाएगी। इसमें रोने की क्या बात है।" रामधन ने रोटी के अन्तिम कौर को सटका। फिर कुल्ला करके बैठ गया।

"मगर मेरा तो जी नहीं मानता सुलोचना के बाबू। न हो तो तुम कल लल्ली के गांव ही हो आओ। उसे ले आओ। महीने दो महीने यहां रह जाएगी, तो मेरा मन भर जाएगा। चौधरन ने आत्मीयता से रामधन की ओर देखकर कहा "दूध और लाऊं क्या?"

इस और का मतलब रामधन समझता था। वह सोच रहा था। जैसे भी हो, अब इससे पीछा छुड़ाना ही चाहिए। वरना जब तक घर में रहूंगा, किसी न किसी सुर में यही राग अलापती रहेगी। बोला "ठीक है, जरा खेतों की ओर देख आऊं। बादल हटने के आसार आज नजर आ रहे हैं। एक दो दिन धूप निकली, तो खेतों की नलाई का काम चलेगा। दो चार दिन में फुर्सत मिलते ही उसे ले आऊंगा। रास्ते भी तो साफ होने दें। वहां कोई मोटर की सड़क तो है नहीं, तीन मील कच्चे का रास्ता है सड़क तक।" कहकर रामधन ने चादर कंधे पर रखी और घर से निकल गया।

वह चला था खेतों को देखने, मगर हुक्के की तलब लग रही थी। घर में हुक्का पीना खतरे से खाली न था, इसी लिए चुपचाप रघुबीर काका की चौपाल की ओर का रास्ता पकड़ा। चौपाल गांव के नुक्कड़ पर थी। बरसात के कारण चौपाल तक जाने के लिए आधे गांव को पार करना पड़ता था। गांव के स्कूल तक का रास्ता कीचड़ से भरा नहीं था, इसीलिए रामधन उसी तरफ चल दिया।

स्कूल के पास पहुंचा, तो देखा, स्कूल के आगे नीम के पेड़ के नीचे बमबोला जमे हुए हैं। कुर्सी पर हेड मास्टर साहब और आसपास दो नायब बैठे हुए थे। बमबोला की बगल में ही रघुबीर काका भी बैठे थे। रामधन ने सोचा, हुक्का न सही, बीड़ी से काम चला लूंगा। कोई चिट्ठी पत्री आई हो तो पूछता

चलूं। क्या पता सुलोचना की सुसराल से राजी-खुशी की चिट्ठी आ गई हो। यही सोच वह स्कूल के अन्दर चला गया।

बमबोला नाम था उस डाकिये का, जो हफ्ते में दो दिन पास के कस्बे से चिट्ठी लेकर इस गांव में बांटने आता था। वैसे उसका असली नाम रामलाल था। मगर जैसे ही वह गांव की सीमा में घुसता है—'जय बमभोला' की आवाज लगाता है। फिर गांव में जो भी उसे मिलता, उसे राम राम कहता है। वह राम राम का उत्तर 'बमभोला' करके ही देता है। इसी से उसका नाम 'बम-भोला' और फिर 'बमबोला' पड़ गया है।

बमबोला बड़ा ही चालाक है। राम लाल से बमबोला बनने में उसे लाभ हुआ है। गांव में जिधर से भी गुजरता है, दो-चार बार 'बमभोला' का नारा लगा देता है। गांववालों को पता चल जाता है कि डाकिया आ गया। उसे घर-घर चिट्ठी बांटनी नहीं पड़तीं। सीधे स्कूल में आता है। यहीं बैठ कर घंटे भर में पूरी डाक बांट देता है।

रामधन स्कूल में पहुंचा, तो डाक के ढेर में से बमभोला ने एक चिट्ठी निकालते हुए रामधन से कहा 'लो, चौधरी अच्छे आ गए यह तुम्हारी चिट्ठी है।"

रामधन ने जो सोचा था, वही हुआ। चिट्ठी सुलोचना की सुसराल से आई थी। रामधन ने सोचा, "चलो, अब शाम को चौधरन ढंग से खाना बनाकर तो खिला ही देगी।" यह सोच वह बेफिक्र होकर खाट के पायताने की ओर खाली जगह पर जा जमा।

कुछ ही देर में बमबोला ने अपनी पूरी डाक बांट दी। अब बचा था, तिरखा जमादार की बहू का पचास रुपये का मनीआर्डर। तिरखा फौज में है, वहीं से हर महीने वह मनीआर्डर भेजता है। बमबोला ने जानबूझकर तिरखा की बहू को नहीं बुलाया। तिरखा की बहू उसकी आसामी है। मनीआर्डर देता है, तो मनीआर्डर लाने के दो रुपये वसूलता है। हालांकि यह कोई सरकारी कायदा नहीं, मगर बमबोला ने अपना कायदा तो बना ही रखा है। हर मनीआर्डर का वह इनाम वसूलता है। हफ्ते में दस पांच मनीआर्डर गांव में आने मामूली बात हैं।

रामधन ने बमबोला से चुटकी लेते हुए कहा, "मुंशी जी, मनीआर्डर लाने से तो अच्छी रकम पल्ले पड़ जाती है।"

बमबोला हंस कर बोला —"क्या कहते हो भैया। यह तो प्यार मोहब्बत का सौदा है। भागवान के घर आता है तो वह देता भी है। किसी को देने से धन कम नहीं होता। 'बम भोला' पर भरोसा रखने वालों का कल्याण ही कल्याण है।"

यह सुनकर सभी हंसने लगे। बमबोला ने डाक का थैला एक ओर रख दिया। तभी रघुबीर काका ने कहा, "और बम-बोला साहब, देश में क्या चल रहा है। तुम तो हररोज अखबार पढ़ते होंगे। कुछ हमें भी बताओ।"

"मैं क्या तुमसे ज्यादा जानता हूं। अब तो गांव-गांव रेडियो है। अखबार में पीछे छपता है, पहले रेडियो में आ जाता है। अब समझो, तुम लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं।" बमबोला बोला।

'सो कैसे। कहीं कोई भविष्यवाणी सुन आए हो क्या मुंशी जी।' एक नायब ने छेड़ा।

"भविष्यवाणी क्या तुमने नहीं सुनी मास्टर साहब। सरकार गांधी जी वाले स्वराज्य की हामी है। उस स्वराज्य की शुरुआत गांव से ही होती है।"

"पंचायत राज की धूम तो बहुत पहले मची थी। मुझे याद है, तब अखिल भारतीय पंचायत परिषद बनी थी। गांवों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनीं। गांव विकास के नाम पर गांवों में खरंजे जरूर बन गए। नालियां भी बन गईं, मगर हुआ क्या। पानी की निकासी ठीक ढंग से न होने के कारण खरंजे कीचड़ में डूबे पड़े हैं। जो कच्ची-पक्की सड़कें बनी थीं, वे भी आज खस्ता हालत में हैं, काका रघुबीर ने बीड़ी में कश मारते हुए कहा।

"तुम्हारा क्या विचार है बमबोला साहब", रामधन ने कुरेदा।

"हां भैया। इतने बड़े देश का काम आसान नहीं। मगर यह जरूर है सरकार की नीयत ठीक लगती है। कुछ न कुछ अच्छा फल निकलेगा जरूर।" कहते हुए बमबोला ने डाक का थैला उठा लिया। फिर 'जय बमभोला' का नारा लगाकर अपने रास्ते चला गया।,

उसके जाने के बाद रामधन ने कहा, "आदमी बड़ा घाघ है। रिश्वत को प्यार मोहब्बत का सौदा बताता है। इन्हीं लोगों ने देश को बरबाद किया है।"

'बरबादी में हाथ हमारा भी है। रिश्वत दें ही क्यों? नायब बोला।

'न दें, तो काम रुका पड़ा रहे। आपको सिर्फ स्कूल आना जाना पड़ता है मास्टर जी। यहां चार छह घंटे को आए। मनमर्जी से काम किया। महीने में घर बैठे तनख्वाह आ गई। जिन्हें कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, उनसे पूछो, क्या हाल है। बिना दिए तो कचहरी में दरख्वास्त भी नहीं ली जाती, फिर आगे क्या होगा। अब तो लगता है, रिश्वत कानूनी हक बन गया है। कभी मुकदमा लड़कर देखो, पता पड़ जाएगा कि हम कितनी रफ्तार से भ्रष्टाचार को सदाचार साबित करने पर तुले हुए हैं।" काका रघुबीर ने तेजी से कहा।

हेडमास्टर समझ गए कि बात झगड़े की ओर बढ़ रही है। अपने नायब के कड़े मिजाज को भी वह जानते थे और रघुबीर की हेकड़ी को भी। इसीलिए उन्होंने पैंतरा बदलते हुए—"छोड़ो भी, हम भी कहां की लेकर बैठ गए। क्यों काका। बरसा के बारे में क्या विचार है। मुझे तो लगता है, अब हफ्ता दस दिन को बादल हट जाएगा। भगवान ने इस बार कमाल ही कर दिया। देश भर में इतना पानी बरसा कि बस पूछो नहीं, गांव के गांव तबाह हो गए। इसे आप क्या कहेंगे।"

"कहते क्या। कुदरत की मार। मास्टर जी आदमी की मार को आदमी सह लेता है, मगर कुदरत की मार को सहना मुश्किल है।" काका ने बड़ी गम्भीरता से कहा।

"क्यों, क्या काका की बात पल्ले नहीं पड़ी।" नायब ने रामधन से पूछा।

"आपने यह कैसे समझा। मैं हंस इस लिए नहीं रहा हूं कि काका की बात

पल्ले नहीं पड़ी मेरे हंसने का दूसरा भी राज है।"

दूसरा ऐसा क्या है भैया। इस बार काका ने रामधन से पूछा।

"काका, मैं सोच रहा था, कुदरत की मार का दूर तक असर होता है। आज इसी मार के कारण घरवाली से कहन-सुनन हो गई। रात की बासी रोटियां खानी पड़ीं। बाढ़ आई सुलोचना के गांव में और झगड़ा हुआ हमारे घर में, कुदरत की मार का यह असर क्या कम है।" कहते हुए रामधन ने सारी आपबीती कह सुनाई।

सुनकर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। अब रिश्वत से उतर कर बात आपसी दायरे में आ गई, इसीलिए उसकी गम्भीरता खत्म हो गई। धीरे-धीरे उछाले लेती हुई बातों का सिलसिला चल पड़ा इसी तरह जैसे बाढ़ का ज्वार खत्म होने पर नदी का तटों में बंधा सन्तुलित बहाव मन को मोह लेता है।

मास्टर जी ने हंसी को थोड़ा सरस बनाते हुऐ कहा "रामधन एक बार कुदरत का मारा पनप जाए, मगर भैया जोरू का मारा पानी नहीं मांगता। घर में रहना है, तो घरवाली से बना कर रखो, वरना आज बासी रोटी मिली, कल ये भी नदारत हो सकती है।"

"सोचूंगा मास्टर जी।" कहता हुआ रामधन उठ गया। अब उसका मन हल्का था। सुलोचना की चिट्ठी उसने जेब में रख ली। सोचा घर लौटने से पहले खेतों का चक्कर भी लगाता चलूं।

रामधन देर तक अपने खेतों का चक्कर लगाता रहा। दिन ढलने लगा था, मगर धूप में तेजी थी। वह अपनी रहट के पास आकर शहतूत की छाया में बैठ गया। तभी बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा घुड़दौड़ लगाता कहीं से आ गया। उसने सूरज को अपने पंखों से ढंक लिया। गर्मी की तपन कम हो गई। धूप के बाद बादल की छांह भली लगती है। रामधन थोड़ा थक गया था। सिर के नीचे चादर रख कर लेट गया। तभी न जाने कहां से काले-काले बादल की सेना ने आकर पूरे आकाश को घेर लिया। हवा में भी तेजी आ गई। फिर बिजली चमकने लगी।

मेरे देश की माटी चन्दन है

गंगा-यमुना सी है पावन
मेरे देश की माटी चंदन है !

रजत-चांदनी खेले हिम के शृंगों पर,
हरी चुनरिया ओढ़े रहते हैं उपवन।
जन-जन के मन में रहता है नेह अमर,
हर नयन देखता यहां प्रीत का सुखद सपन।

यहां हारता तमस सदा ही
ज्योति का होता वंदन है !

गौतम-गांधी की वाणी शांति-संवाहक है,
जीवन का संदेश धरा नित देती है।
यहां कुटी और महल साथ पलते हैं,
मानव को अमरत्व धरा नित देती है।

हुआ पराजित असत् सदा ही
सत्य का होता नन्दन है !

काया का शृंगार हमारा ध्येय नहीं,
आत्म-ज्ञान का दीप जलाते जाएंगे।
आजादी का मूल्य जानते हैं हम तो,
इसकी खातिर हम प्राण गलाते जाएंगे।

देश की माटी माथे चढ़ती
यह माटी आंख का अंजन है !
मेरे देश की माटी चंदन है !

श्रीमती आशा शर्मा

रामधन को लगा, पानी बरसने में ज्यादा देर नहीं है। बादलों को देखकर लग रहा था, बरसा काफी तेज आएगी। रामधन ने करवट बदल ली। उसे घर पहुंचना था, फिर भी उठने को उसका मन नहीं कर रहा था। वह फिर करवट बदल कर लेट गया। तभी बगुलों की पंक्ति को उड़ता देख, वह हड़बड़ा कर उठा। सोचने लगा, अब पानी आने में देर नहीं।

वह उठकर पेड़ की छाया से बाहर आया, तभी बूंदों की बौछार ने उसे भिगो दिया। उसकी पलकों पर ठहरी बूंदें नीचे टपक रही थीं। मगर रामधन को जैसे परवाह नहीं थी। अचानक एक बूंद उसके होठों पर आ गिरी। उसका स्वाद चखकर रामधन सोचने लगा "इसका स्वाद बिल्कुल आंसू जैसा खारा है। क्या बादल भी रो रहा है?" ऐसा सोचते ही वह जोरों से हंस पड़ा। इतना हंसा कि उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए और तभी बादल की एक बूंद टपक कर उसके एक आंसू में मिल गई। दो बूंद आंसू एक बूंद बन गए। यह कोई नहीं जान सका। □

पहला सुख निरोगी काया

स्वास्थ्य की बात : सूक्तियों के साथ

—गफूर तायर

हमारे गांवों में आज भी दोहों और कहावतों के माध्यम से अनुभव पर आधारित अनेक ज्ञान भरी और उपयोगी बातें कहने और समझाने का रिवाज है। इनके द्वारा बड़ी गम्भीर और सारगर्भित बात कह दी जाती है, गागर में सागर की भांति। ये सूक्तियां और कहावतें ग्रामीण भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक पक्ष को उजागर करती हैं। यहां हम उन सूक्तियों और कहावतों की चर्चा करेंगे, जिनका इस्तेमाल बुजुर्ग ग्रामीण छोटों को स्वास्थ्य की बातें समझाने के लिए करते हैं। जाहिर है कि ये गहरा असर छोड़ती हैं।

प्रातःकालीन भ्रमण

नंगे पग जो ओस पर टहलें प्रातःकाल।
नयन ज्योति उनकी बढ़े असमय पके न बाल।

जिनकी अभी कच्ची उम्र है और आंखों से आंसू आते हैं, रतौंधी रोग है या पढ़ने लिखने का श्रम जिन्हें अधिक करना पड़ता है, उनके लिए प्रातःकाल ओस पर घूमना बहुत हितकर है।

कब जल पियें

श्रम या कसरत करने, रोने, फल खाने, उपवास के बाद, उल्टी तथा शौच के बाद जल पीना नुकसानदायक होता है।

श्रम साधन कसरत रुदन फल सेवन पश्चात।
नहिं जल सेवन कीजिये वमन विरेचन बाद।

यह बात तो सर्वविदित है कि सुबह उठने के बाद यदि शुद्ध ताजा जल प्रतिदिन सेवन किया जाए तो पेट के बहुत से रोगों का इससे निदान हो जाता है। सुबह उठकर जल पीने से गैस, अपच, कब्ज, सिरदद, कम भूख लगना आदि व्याधियों से कुछ ही दिनों में छुटकारा मिल जाता है। प्रातःकाल जल सेवन का एक फायदा यह भी है कि पूरे दिन आप प्रफुल्ल-चित्त रहेंगे।

शीतल जल को पीजिए, प्रातः होत ही तात।
दीर्घ शंका तब जाइये, पेट साफ हो जात।

नियंत्रण हानिकारक है

हमारे शरीर की कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो स्वाभाविक हैं और जिन्हें जहां तक संभव हो रोकना नहीं चाहिए। उन्हें अपने स्वाभाविक रूप में क्रियान्वित होते रहने चाहिए। उनमें जान बूझ कर रुकावट डालना या नियंत्रण करना शरीर को हानि पहुंचाता है और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका ठीक प्रभाव नहीं पड़ता।

क्षुधा तृषा निद्रा वमन, कास श्वास मल-मूत्र।
छींक पाद रोके नहीं, स्वस्थ-स्वास्थ्यप्रद सूत्र।

मौन एक स्वास्थ्यप्रद सूत्र

मौन के महत्व को हर काल में स्वीकारा गया। मौन रहकर हम अपने शरीर में अतिरिक्त शक्ति का संचय करते हैं। रोगी को अधिक बोलना हानिकर बताया गया है। किन्हीं आवश्यक क्रियाओं में मौन स्वास्थ्यदायक होता है जैसे—

योग भोग भोजन भजन त्यागत जब मल मूत्र।
मौन रहे कसरत वमन कहत स्वास्थ्यप्रद सूत्र।

अच्छे स्वास्थ्य की पहचान

एक गांव के औषधालय पर अच्छे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में यह दोहा लिखा हुआ था, जो एक सामान्य स्वास्थ्य की पहचान बताता है।

पेट नरम, द्वै पद गरम, ठण्डा माथ सुजान।
क्षुधा सहज, निद्रा गहन, स्वस्थ स्वास्थ्य पहिचान।

बिन संयम सब सून

चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, संयम ही उसकी सफलता की पहली शर्त मानी गई है, फिर औषध और उपचार के क्षेत्र

में तो संयम अति आवश्यक है। दवाएं लेने में अनियमितता, संयमहीनता दवाओं और उपचार के असर को खत्म कर देती है। इतना ही नहीं, उपचार और औषध में किया गया धन और समय भी व्यर्थ हो जाता है।

बिना संयम औषध करे, कभी न फलप्रद होय।
जो सेवत वे व्यर्थ ही फिरें धर्म धन खोय।

और

भोग अनन्तानंत हैं, रोग अनन्तानन्त।
बिन संयम सन्तोष के, हुआ न होगा अन्त।

अति सर्वत्र वर्जयेत

सीमा से अधिक कोई भी कार्य हो, हानिकारक होता है। फिर स्वास्थ्य के सम्बन्ध में तो 'अति' चिन्ता का विषय है। शरीर की एक सीमा होती है और उस सीमा के बाद वह सहन नहीं कर सकता। जो लोग अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य करते हैं, वे असमय ही टूटन और निर्बलता का शिकार हो जाते हैं। उन्हें नाना प्रकार के रोग घेर लेते हैं।

अति श्रम भाषण जागरण दुख चिन्ता भय भोग।
आयु ओज बल क्षय करत बढ़त कष्टप्रद रोग।

प्रकृति के प्रतिकूल न चलें

प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की संरक्षक होती है, परन्तु अक्सर हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते और प्रकृति के विरुद्ध आचरण करते हैं, जिसका कुप्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है।

प्रकृति स्वास्थ्य संरक्षिणी, मत चलिये प्रतिकूल।
जीवनप्रद साधन सबन, देती ऋतु अनुकूल।

आहार पर भी विचार

हम जो भोजन करते हैं, उसे भी ऋतु, उम्र, अपनी शक्ति के अनुसार और आहार की हानियां पहुंचाने वाले तत्वों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यदि हम ऋतु के प्रतिकूल आहार लेते हैं, तो कभी कभी स्वास्थ्य पर उसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बुंदेलखण्डी एक कहावत के अनुसार दही और मट्ठे के बारे में चेतावनी है—

क्वार में मट्ठा, कार्तिक में दही।
मर हो न तौ पर हो सही।

अर्थात् क्वार माह में मट्ठा और कार्तिक माह में दही का उपयोग किया तो यह बात पक्की है कि आप मरेंगे नहीं तो अस्वस्थ होकर जरूर पड़ जाएंगे। इसीलिए ग्राम्य अंचलों में यह बहुत लोकप्रिय है—

दोष काल ऋतु आयु बल लख कीजे आहार।
मिथ्या न्यूनाधिक क्रिया रोगों का भंडार।

मट्ठे की महिमा

मट्ठे की महिमा को आयुर्वेद चिकित्सकों ने मुक्त कंठ से सराहा है। गांव के बड़े-बूढ़े और पुराने लोग नौजवानों को मट्ठा सेवन करने की हिदायत देते हैं। "जो पिये नित्य मट्ठा, सदा बना रहे पट्ठा। मट्ठा, तक्र या छाछ को अमृत तुल्य भी माना गया है। पेट की समस्त व्याधियों में मट्ठा गुणकारी है। यह शरीर को बल, ओज और शीतलता प्रदान करता है। लेकिन इसे ऋतु और शारीरिक क्षमता के अनुकूल ही सेवन करना चाहिए।

दोषों में समता करे, क्षमता ऋतु अनुकूल।
अंग-अंग दृढ़ता भरे, पिये तक्र बिन भूल।

सोना कब अहितकर है

गांवों में यह बात प्रचलित है कि बेसमय और अधिक सोना हानिकारक होता है। अधिक सोने वाले की आयु कम हो जाती है। गर्मियों के दिनों में कुछ लोग बिस्तर पर पानी छिड़क कर या गीले वस्त्र लपेटकर या गीली जगह में ठण्डक पाने की ललक में सो जाते हैं, परन्तु ऐसा करना स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होता है।

गीले तन, गीली जगह, बदली छाया ओस।
प्रातः संध्या काल में, निद्रा लेना दोस।

नैतिक पतन

कहते हैं कि जब चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया।

दारुण दुख दरिद्रता द्वेष दंभ भय रोग।
उपजत नैतिक पतन से जन विध्वंसक रोग।

मनुष्य का हंसता गाता जीवन जिसमें चरित्र की महक होती है, नैतिक पतन के कारण न केवल अपने लिए वरन अपने परिवार और समाज के लिए भी अभिशाप बन कर रह जाता है।

दुश्चिन्तन दुर्भावना, दुराचार दुष्काम।
दुःसंगति दुर्गति दुहत दुखद दुष्परिणाम।

इसके विपरीत, सदाचार अच्छे स्वास्थ्य का आधार है।

सद संगति, सद चिन्तन, सदाचार, सहकार,
सद आहार-बिहार नित, स्वस्थ-स्वास्थ्य आधार। □

बूंद बूंद से घट भरे

अल्प बचत से राष्ट्र की समृद्धि

धरती बन गई हूं

मेरा खलिहान
अब भूसा नहीं
अन्न देता है
और मैं
अब अन्नमय बन गई हूं।
खेत की हरीतिमा को ओढ़
धरती बन गई हूं
अपने गांव की।
बिजली की ज्योति से जगमगाते
छोटे परिवार का संदेश अपनाने वाले
आदर्श गांव की।

श्रीमती कृष्णा शर्मा

श्रमवीर

शांति दीप जला कर जिसने
नव जागृति की ज्योति जगाई,
अपना तन मन होम कर दिया
लेकिन जग को राह दिखाई।
तृप्त रहा मेघों की भांति
पावन भू की प्यास बुझाई,
शंकर बना वही विष पीकर
धन्य हुई उसकी तरुणाई।
कहलाया श्रमवीर वही बस
किया धरा को जिसने चंदन,
मन कहता है आओ मिलकर,
आज करें उसका अभिनंदन।

हरिराम बिश्नोई

श्रम के गीत

आओ श्रम के गाएं गीत
हार दूर हो सुख की जीत।
खेत खेत में मुस्काएं
गेहूं की स्वर्णिम बालें,
पवन चूम कर झूम उठे
थिरक उठें सब चौपालें।
अधरों पर मीठी गुनगुन
सुना रही मीठा संगीत।
श्रम से बदली तकदीरें
दुर्दिन का अब काम नहीं,
दुख की तोड़ें जंजीरें
भय का कोई नाम नहीं।
लगन धैर्य उत्साह भरे
हर सूने अन्तर में प्रीत
बादल तो है जलदायी
सबका भाग्य विधाता है,
पर नहरों से भी अपना
युगयुग तक का नाता है।
नल-कूप, सरवर, सरिता
आज बन गए सच्चे मीत।

भगवती प्रसाद शर्मा

केन्द्र के समाचार

जैव गैस से बिजली

दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जैव गैस (बायो गैस) से चलाया जा सकने वाला एक ऐसा जेनरेटर तैयार किया है जिससे गांवों में घरों में रोशनी करने, सिंचाई के पम्पों और खेती की मशीनें चलाने के लिए बिजली पैदा की जा सकती है। यह प्रणाली बहुत ही किफायती है, क्योंकि जैव गैस बनाने के लिए गोबर और खेतों का कूड़ा कचरा ही काम में लाया जाता है।

इस जेनरेटर को चलाने के लिए ईंधन की 85 से 90 प्रतिशत आवश्यकता जैव गैस से पूरी की जाती है। 10 से 15 प्रतिशत ईंधन के लिए डीजल इस्तेमाल किया जाता है। मुश्किल से मिलने वाले डीजल को बचाने के लिए जेनरेटर को पूर्णतया जैव गैस से ही चलाने के लिए अनुसन्धान किया जा रहा है।

वन्य प्राणियों के प्रति भी मनुष्य का कर्त्तव्य

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस पृथ्वी के अन्य प्राणियों की देखभाल के प्रति मनुष्य के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व की तरफ लोगों का ध्यान दिलाया है। वन्य जीवन सप्ताह के अवसर पर उन्होंने लोगों से इस दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग देने की अपील की।

प्रधान मंत्री ने इस अवसर पर अपने सन्देश में कहा कि गांधी जयन्ती के अवसर पर वन्य जीवन सप्ताह के आयोजन का विशेष महत्व है, क्योंकि महात्मा गांधी सभी प्राणियों के प्रति स्नेह और सहनशीलता की भावना में विश्वास रखते थे। यह उचित ही होगा कि प्रत्येक वर्ष उनकी जयन्ती पर अन्य प्राणियों विशेषकर सामान्य तौर पर 'वन्य जीवन' में शामिल जीवों और वनस्पति को इसकी प्राकृतिक अवस्था में बनाए रखने के प्रति मनुष्य के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए।'

अधिकांश लोग मनुष्य के अस्तित्व के लिए वन्य जीवन के महत्व को अनुभव नहीं करते। मनुष्य का अस्तित्व जीव मंडल, जिसमें पेड़-पौधे, पशु, मनुष्य शामिल रहते हैं, के एक भाग के रूप में होता है। इस संसार में हर वस्तु का परस्पर सम्बन्ध होता है। और सभी परस्पर निर्भर रहती हैं। वन्य जीवन की सुरक्षा करके हम सभी प्राणियों और इस प्रकार स्वयं अपने जीवन के प्रति अपनी दिलचस्पी व्यक्त करते हैं।

सरकार वन्य जीवन के संरक्षण और इस सम्बन्ध में लोगों को जागरूक बनाने के विषय को उच्च प्राथमिकता देती है। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड की अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी लोगों से सरकार के प्रयासों में सहयोग देने का आग्रह करती हूं।

रोजगार गारंटी योजना

इस समय महाराष्ट्र में चलाई जा रही रोजगार गारन्टी योजना के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर बढ़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आमदनी में वृद्धि हुई है, मजदूरी में असमानता घटी है, विकास कार्यक्रमों, विशेषकर बड़े सिंचाई कार्यक्रमों में महिलाओं की संख्या बढ़ी है और कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस योजना के बारे में दी गई संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट में दिए गए हैं। यह संयुक्त रिपोर्ट योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और महाराष्ट्र सरकार ने तैयार की थी।

इस योजना के निष्कर्षों से रोजगार गारंटी योजना के विचार के बेहतर मूल्यांकन का आधार मिलेगा और राज्य सरकारों को हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत भावी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार नीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

महाराष्ट्र की रोजगार गारन्टी योजना 1972 में शुरू की गई थी और 1979 में इसे कानूनी दर्जा दिया गया था। इस योजना का उद्देश्य स्वीकृत परियोजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के उन सभी अकुशल मजदूरों को लाभदायक और उत्पादक रोजगार देना है जिन्हें खेतों में या अन्य स्थानों पर काम नहीं मिल पाता है।

गांवों का विद्युतीकरण

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में नौ राज्यों के 2700 से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाने की 47 नई परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं के क्रियान्यवयन के लिए लगभग 14 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मंजूर की गई है। योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में लगभग 15,000 सिंचाई पम्प सेटों को और 20,000 से अधिक उद्योगों तथा अन्य सेवाओं के लिए बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे।

निगम ने दो राज्यों मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में 180 से अधिक हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाने के लिए 24 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है।

इस तरह निगम ने अब तक 3,680 से अधिक परियोजनाओं के लिए औसतन

1280 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मंजूर की है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर देश के 21 राज्यों के करीब 1.78 लाख गांवों में बिजली पहुंचाने और 14 लाख सिंचाई के पम्प सेटों को बिजली प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

निगम इन परियोजनाओं को चालू करने के लिए 865 करोड़ रुपये से अधिक राशि पहले ही दे चुका है।

किसानों को सहायता

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जाति और जन जाति के छोटे किसानों की सहायता के लिय कई गहन बहुद्देश्यीय योजनाएं शुरू करने का निर्णय किया है।

इन योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र राज्य सरकारों को चुने हुए क्षेत्रों के इन छोटे किसानों को उनके ही खेतों में आधुनिक कृषि पद्धति और सहायक धन्धों की लाभकारी परियोजनाओं का प्रदर्शन करने के लिए सहायता देगा। ये योजनाएं फसल उत्पादन, शुष्क भूमि में खेती करने की तकनीकों, भू-संरक्षण, मुर्गीपालन, बतख और भेड़ प्रजनन, डेयरी विकास, मत्स्य पालन, लाख की खेती और वनखंड से संबंधित हैं।

कृषि मंत्रालय ने चालू बजट में खेत बदलने पर नियंत्रण की योजना के लिए 1.11 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस उद्देश्य के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहले से चल रही 12 परियोजनाओं और पांच नई परियोजनाओं के कार्यान्वियन पर उक्त राशि खर्च की जाएगी।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

पता लगाए गए सभी बंधुआ मजदूरों के 1982 तक पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे अपने प्रस्ताव श्रम मंत्रालय के पास भेज दें।

श्रम राज्य मंत्री श्रीमती रामदुलारी, सिन्हा ने एक पत्र लिखकर आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों और बिहार, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के श्रम मंत्रियों से पुनर्वास कार्य को तेज करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि 1980-81 के लिए केन्द्रीय सहायता बराबर अनुदान के आधार पर दी जा रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि पुनर्वास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सहायता का पूर्ण रूप से और समय पर उपयोग हो। उन्होंने यह भी कहा कि वे बंधुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करें।

योजना आयोग ने 1978-83 के दौरान बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस वर्ष पुनर्वास उद्देश्यों के लिए तीन करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है।

मंत्री महोदया ने कहा कि पुनर्वास की समस्या को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत हल करने के लिए हम सभी को विशेष प्रयास करने चाहिए तथा ठोस कदम उठाने चाहिए।

चालू कार्यक्रमों के तहत बंधुआ मजदूरों को रोजगार प्रदान करने से उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के कार्य में सहायता मिलेगी। इस प्रकार उन्हें दासता से मुक्ति मिलेगी। □

[पृष्ठ 11 का शेष]

क्षेत्रों में ऋण देने की प्रणाली आसान बन सके और किसी माध्यम की आवश्यकता न पड़े। यदि सरकार कृषि विस्तार केन्द्रों के माध्यम से गोबर गैस संयंत्र आसान किस्तों पर किसानों को सीधे देने की व्यवस्था करे, तो उससे किसान को संयंत्र का भुगतान करने में भी आसानी रहेगी और संयंत्र लगाने की जिम्मेदारी भी सरकारी देखरेख में अच्छी तरह चलेगी।

सरकार की ओर से सामुदायिक संयंत्र लगाने की जो योजना है, उसमें सामाजिक पहलू को प्राथमिकता देनी चाहिए। इन सामाजिक पहलुओं का पूर्ण रूप से अध्ययन इस प्रकार के संयंत्रों की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है। अभी तक छह सामुदायिक संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिनसे गांवों की हर प्रकार की जरूरतें पूरी की जा रही हैं। 20 और संयंत्र शीघ्र ही लगने वाले हैं। इन परीक्षणों के परिणाम प्राप्त होने पर अधिक क्षेत्रों में सामुदायिक संयंत्रों की उपयोगिता स्थापित की जा सकेगी।

गोबर गैस संयंत्र अपनाने के लिए सरकार यदि संचार माध्यमों का उचित रूप से उपयोग करे तथा विभिन्न स्थलों पर प्रयोग करके दिखाने की सुचारु व्यवस्था की जाए तो भारत की ग्रामीण जनता उपयोगिता समझने के बाद इसको अपनाने के लिए आसानी से तैयार हो जाएगी जैसे कि उन्होंने गेहूं की बौनी किस्म को अपनाने के लिए किया था। एक बार ग्रामीण क्षेत्रों में इसको अपना लिया गया, तो फिर सरकार को वहां की जनता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता न रहेगी, बल्कि वह खुद-ब-खुद इस तरह के संयंत्रों के पीछे भागेगी।

इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की दिशा में गोबर-गैस संयंत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

—: हमारी सम्पदा हमारे वन :—

ग्रामीण सहकारी समितियों के व्यापक जाल के पीछे

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

का अथक प्रयास है।

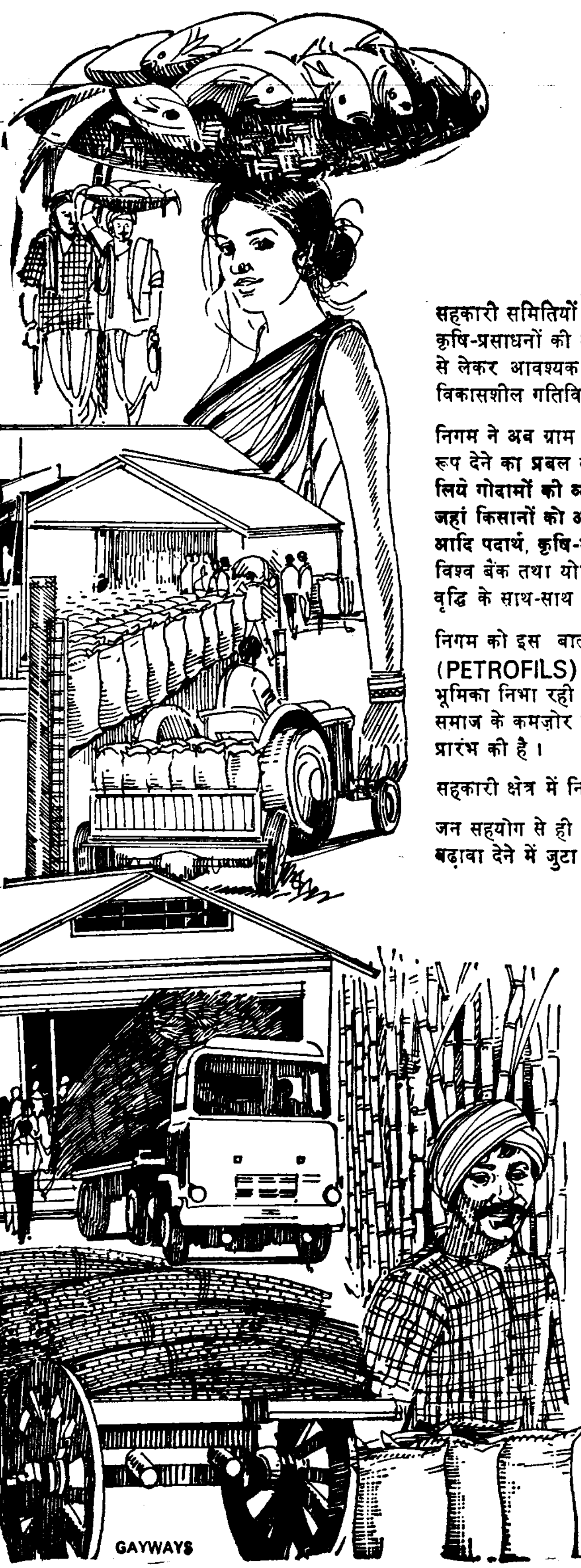

सहकारी समितियों को ठोस और मज़बूत आधार प्रदान करने के लिये निगम निरंतर सक्रिय है। कृषि-प्रसाधनों की आपूर्ति से लेकर उत्पादन के भंडारण और विपणन तक, कृषि उत्पादनों की प्रक्रिया से लेकर आवश्यक वस्तुओं के वितरण तक, कृषि अर्थ-व्यवस्था के सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में इसकी विकासशील गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं।

निगम ने अब ग्राम समितियों को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये उन्हें बहुमुखी सहकारी संस्थानों का रूप देने का प्रबल कार्यक्रम शुरू किया है। **इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त उपज के भंडारण के लिये गोदामों की व्यवस्था की जायेगी। इन सहकारी गोदामों को विकास केन्द्र का रूप दिया जायेगा जहां किसानों को अपनी सभी मुख्य आवश्यकताएं प्राप्त हो सकेंगी जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि पदार्थ, कृषि-उपकरण, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं तथा ऋण की सुविधाएं।** यह कार्यक्रम विश्व बैंक तथा योरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से **कार्यान्वित** हो रहा है। परियोजनाओं में वृद्धि के साथ-साथ सहायता में भी वृद्धि हो रही है।

निगम को इस बात का गर्व है कि उसने इफ़को (IFFCO) नफ़ेड (NAFED) तथा पेट्रोफिल्स (PETROFILS) जैसी सहकारी संस्थाओं का प्रवर्तन किया जो राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। निगम ने मछेरों, बुनकरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि समाज के कमज़ोर वर्गों की सहायता के लिये सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की विशेष योजना प्रारंभ की है।

सहकारी क्षेत्र में निगम अब तक ३३० करोड़ रुपये से अधिक धन राशि लगा चुका है।

जन सहयोग से ही परियोजनाएं **यथार्थ रूप** धारण करती रहती हैं और निगम इसी सहयोग को बढ़ावा देने में जुटा हुआ है।

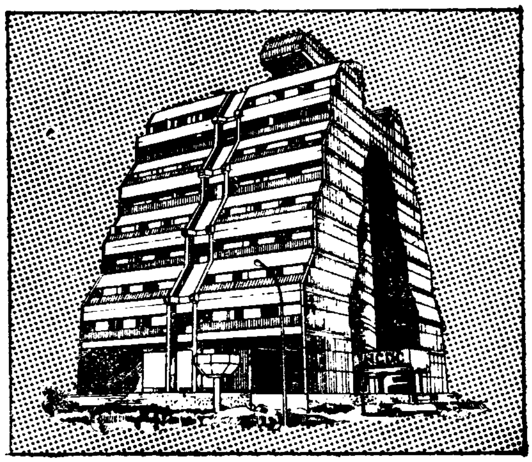

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

(एक अनुविहित निगम)

प्रधान कार्यालय : ४-सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज़ खास, नई दिल्ली-११००१६

क्षेत्रीय कार्यालय : बंगलोर • कलकत्ता • चंडीगढ़ • गोहाटी • जयपुर • लखनऊ • पुणे

GAYWAYS

साहित्य समीक्षा

गीत भारती : कवि : सोहन लाल द्विवेदी, प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 28, मूल्य : 6 रुपये ।

श्री सोहनलाल द्विवेदी अपनी देशप्रेम और राष्ट्रवादी रचनाओं के लिए सुविख्यात हैं । उनकी रचनाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हजारों लोगों को कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दी थी । स्वतंत्रता संग्राम का यज्ञ समाप्त होने के बाद उनका ध्यान बच्चों को देशप्रेम, राष्ट्रीयता, बलिदान और सद्विचारों का पाठ पढ़ाने की ओर गया ।

प्रकाशन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के अवसर पर गीत भारती के नाम से इन गीतों के संकलन का प्रकाशन निस्संदेह सराहनीय है ।

पहली कविता में बताया गया है कि हम कैसे नए भारत का निर्माण करेंगे :—

"जहां गरीबी नहीं रहेगी,
नहीं रहेगी बेकारी,
सब मिल करके काम करेंगे,
बन सम्पत्ति के अधिकारी ।"

एक दूसरी कविता में कहा गया है कि हम बहुत साधारण लोग हैं लेकिन महान देश भारत में जन्म लेने के कारण उसकी महानता का कुछ अंश हमें भी मिल गया है :—

"ज्यों-ज्यों मुझको अपने प्यारे,
भारत का आता है ध्यान,
त्यों-त्यों होता जाता हूं मैं
लघु हो कर भी नित्य महान ।"

'मीठे बोल' कविता में कवि कहता है :—

"मीठे होते आम निराले,
मीठे होते जामुन काले,
मीठा शरबत है अनमोल,
सबसे मीठे मीठे बोल ।"

सुन्दरता की पहचान में बताया गया है :—

'सुन्दर मुखड़ा वही
सत्य का जिसमें तेज निराला हो ।"

'मुस्कानों से भर दो घर वन', 'आगे आओ' कविताएं प्रेरणा देती हैं । 'अगर कहीं मैं पैसा होता', 'सपने में' और 'घर की याद' मन को गुदगुदाती हैं ।

पुस्तक की साज-सज्जा और छपाई आकर्षक है । बहुरंगे मनोहर आवरण और मोटी जिल्द वाली यह पुस्तक बच्चों को भाएगी, उनमें लोकप्रिय होगी और उनमें अच्छे गुणों के विकास में सहायक होगी इसमें कोई संदेह नहीं है ।

कबूतर : लेखक : रामेश बेदी, प्रकाशक : प्रकाशन विभाग सूचना और मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 34, मूल्य : 5 रुपये ।

हिन्दी में पशु-पक्षियों पर अपेक्षाकृत कम पुस्तकें हैं । इस दृष्टि से सरल और सुबोध भाषा में लिखी गई यह पुस्तक राष्ट्रभाषा के लिए निश्चय ही मूल्यवान योगदान है ।

श्री रामेश बेदी ने इस पुस्तक में कबूतरों के बारे में दुर्लभ जानकारी प्रस्तुत कर गागर में सागर भरने का प्रयास किया है । उदाहरण के लिए बाणभट्ट और कालिदास आदि संस्कृत के अनेक कवि-लेखकों ने अपनी रचनाओं में कबूतरों और उनकी आदतों का विस्तार से वर्णन किया है । मध्य युग के अनेक मुसलमान शासकों जैसे बाबर, अकबर और जहांगीर को कबूतर पालने का शौक था । अकबर के पास बीस हजार से अधिक कबूतर थे । इनको विधिवत प्रशिक्षण दिया जाता था । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शत्रु की टोह लेने वाले कबूतरों का उल्लेख है । सामान्य संचार व्यवस्था भंग होने पर आधुनिक युग में भी कबूतर उपयोगी कार्य करते हैं । कबूतर 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की चाल से एक बार की उड़ान में एक हजार किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर लेते हैं । विश्व-प्रसिद्ध समाचार एजेंसी रायटर ने कबूतरों के जरिये 1850 में ब्रूसेल्स और आचेन के बीच खबरें भेजने का काम शुरू किया था । उन दिनों इन दो नगरों के बीच तार-व्यवस्था शुरू नहीं हुई थी । रायटर का यह प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा ।

शांति का प्रतीक होने के बावजूद कबूतर युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । अनेक देशों ने कबूतरों को प्रशिक्षण देकर उनसे जासूसी का कार्य लिया है । कबूतर के पंखों में जटिल इलेक्ट्रानिक यंत्र लगाकर शत्रु के रक्षा प्रतिष्ठानों का पता लगाया जाता है ।

कबूतर जोड़ों में रहते हैं और एक दूसरे के प्रति आजीवन वफादार रहते हैं । मनुष्य इस मामले में कबूतरों से बहुत कुछ सीख सकता है ।

नवीन चन्द्र पन्त

बर्मा की लोककथाएं : लेखक : योगराज थानी, प्रकाशक : राजपाल एण्ड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 40, मूल्य : 5 रुपये ।

आज से 15 वर्ष पहले अपने स्कूली दिनों में "संसार की लोककथाएं" श्रृंखला की एक पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने तकरीबन अन्य सभी देश-विदेश की लोक-कथाओं को सिलसिलेवार पढ़ डाला था। उस समय मेरे अन्य साथी भी इन लोककथाओं को बड़े चाव से पढ़ते थे। तब से, शायद उससे भी पहले से इन लोककथाओं का प्रकाशन बार-बार होता रहा है तथा इनकी बिक्री बरकरार है। इससे इनकी लोकप्रियता का भी अनुमान मिलता है। मानव चरित्र के बुनियादी मुद्दों से जुड़े होने के कारण इनकी मांग बराबर बनी है। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि बालकों को प्रेरणा और दिशा प्रदान करने में ये उदाहरण योग्य पुस्तकें हों।

दरअसल अन्य लोककथाओं की भांति "बर्मा की लोककथाएं" की कथावस्तु इस प्रकार है कि इनसे तात्कालिक संतुष्टि भले ही मिल जाए किन्तु आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बालकों की मानसिक और बौद्धिक जरूरतों को संतृप्त करने के लिए ये नाकाफी हैं। पारम्परिक मूल्यों व मान्यताओं पर आधारित इन कथाओं में बालकों में वैज्ञानिक दृष्टि उत्पन्न करने या उनकी ज्ञानवृद्धि से अधिक सरोकार नहीं है।

संकलन की तीन कहानियों—"चांद में दाग क्यों", "लालच बुरी बला है" और "सच्चा और झूठा" में क्रमशः एक करामाती मूसल, सोने का महल तथा एक करामाती चिमटे के कमाल को दिखाया गया है। ऐसे अंधविश्वासी तत्वों को आधार बना कर ढेर सारा बाल साहित्य आज लिखा जा रहा है और बिक भी रहा है, जो बालकों में स्वस्थ तथा सही दृष्टि पैदा करने में बाधक है। वैसे संकलन की शेष छह कहानियों में कोई आपत्ति वाली बात नहीं है।

लेखक की प्रतिष्ठा के अनुरूप पुस्तक की भाषा और कथा-प्रवाह अच्छा है।

एक बात समझ में नहीं आती कि इन पुस्तकों की भारी मात्रा में सुनिश्चित बिक्री के बावजूद (पुस्तक व्यवसाय के मोटे नियम के अनुसार अधिक प्रतियां छपने से प्रति पुस्तक लागत तेजी से कम होने लगती है) 40 पृष्ठों की सादी जिल्द वाली पुस्तक का मूल्य 5 रु० से कम रखने का साहस प्रकाशक क्यों नहीं जुटा पाते।

हरीश बड़थ्वाल

विज्ञान वैचारिकी (त्रैमासिक) : सम्पादक : शुकदेव प्रसाद, प्रकाशक : वैचारिकी संस्थान, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या : 24, मल्य : 1.25 रुपये ।

विज्ञान हम पढ़ते-पढ़ाते हैं, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। जहां विज्ञान ने मानव को अनेक भौतिक सुविधाएं प्रदान की हैं, उसे बहुत सारे आधुनिक उपकरणों से लैस किया है, वहीं उसके अपने महत्व को कम भी किया है। आज का आदमी, दरअसल बौना हो गया है। यही नहीं वैज्ञानिक उपलब्धियों ने प्रकृति को भी एक तरह से बेअसर बना दिया है। जरूरत इस बात की है कि विज्ञान के बारे में वैचारिक धरातल पर कुछ सोचा समझा जाए। विज्ञान को लेकर दो-चार पत्रिकाएं हैं जरूर, पर वे हमें वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित मात्र कराती हैं। विज्ञान बनाम मानव और विज्ञान बनाम प्रकृति इन संबंधों पर एक बहस चलाने की जरूरत है। "विज्ञान वैचारिकी" इस दिशा में एक सार्थक प्रयास है।

यद्यपि जो अंक हमारे हाथ में है वह प्रवेशांक ही है, फिर भी हम बेहिचक कह सकते हैं कि इसकी योजना के पीछे एक सुचिन्तित प्रयास छिपा है। इसमें शुरू के दोनों लेख—1. पर्यावरण मित्र है : उसे शत्रु न बनाइए, 2. आइन्स्टाइन और उनकी मानवतावादी छवि—सम्पूर्ण लेख हैं और इनमें गंभीर चिन्तन कदम-कदम पर झलकता है। इसके अतिरिक्त 'विज्ञान और दर्शन' शीर्षक लेख में विज्ञान तथा दर्शन के अन्योन्याश्रित संबंधों को बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। साथ ही 'मेरा सफरनामा', 'नए प्रकाशन', 'विज्ञान समाचार' तथा 'विद्यार्थी परिशिष्ट' आदि स्तम्भों ने पत्रिका को अत्यंत आकर्षक एवं उपयोगी बना दिया है। इन सभी लेखों और स्तम्भों के साथ जुड़ी सम्पादकीय टिप्पणियों ने इसके आकर्षण में चार चांद लगा दिए हैं। इन टिप्पणियों को पढ़ने के बाद आप लेखों अथवा स्तम्भों को पढ़े बगैर नहीं रह सकते।

पत्रिका के आकार को देखते हुए लेखों के चुनाव के लिए सम्पादक की प्रशंसा करनी होगी। इसके तीनों लेख प्रतिनिधि लेख हैं और विषय-वस्तु को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं। खास तौर पर 'पर्यावरण' वाला लेख तो आज की ज्वलंत समस्या 'प्रदूषण' के हर पहलू को उजागर कर देता है और हमें इसके नतीजों से पूरा-पूरा सावधान कर देता है। इसी प्रकार आइन्स्टाइन वाले लेख में आइन्स्टाइन के मानवतावादी नजरिए को रेखांकित करने का सफल प्रयास किया गया है। आइन्स्टाइन चोटी के वैज्ञानिक तो थे ही, साथ ही वह महामानव थे। वह गांधीजी के सच्चे अनुयायी थे और अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक शान्ति की स्थापना और मानव हितों एवं अधिकारों के लिए प्रयत्नशील रहे। इसी प्रकार 'विज्ञान और दर्शन' के लेखक ने आधुनिकतम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दर्शन की अनिवार्यता को स्वीकारा है। विज्ञान अपने प्रयासों में तभी सफल होगा जब उसका अपना कोई दर्शन हो।

इसी प्रकार 'मेरा सफरनामा' में जहां हम प्रेमानंद चंदोला के जीवन के खट्ठे-मीठे अनुभवों से परिचित होते हैं वहीं 'विज्ञान समाचार' में 'रेगिस्तानों में पेट्रोल की खेती' वाला समाचार बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक है। वैसे ही 'नए प्रकाशन' और 'विद्यार्थी परिशिष्ट' में विज्ञान छात्रों के लिए बड़ी मूल्यवान सूचनाएं हैं।

कुल मिलाकर पत्रिका आकर्षक तथा उपयोगी है और आशा है कि यह विज्ञान जिज्ञासुओं को यथेष्ट रूप से आकृष्ट करेगी। □

डा० विशाल त्रिपाठी

सोलन में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत अनुकरणीय कार्य

सुनीता मुखर्जी

बढ़ती हुई आबादी और कृषि योग्य भूमि की सीमित उपलब्धि को देखते हुए सामान्यतः ग्रामीण युवकों, विशेषकर गरीब वर्गों के युवकों को अपना भविष्य कोई उज्ज्वल प्रतीत नहीं होता है। लेकिन ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ट्राइसेम योजना (ग्रामीण युवकों के लिए स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण) उनके लिए आशा की नई किरण लेकर आई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें अपना काम-धंधा चलाने और रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाना तथा बेरोजगारी दूर करना है।

मोटर मेकेनिक का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपना काम धंधा चलाने वाले दो युवक। इनकी दैनिक आमदनी लगभग 30 रु० है।

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में यह योजना इस वर्ष जनवरी के मध्य में शुरू की गई तथा प्रथम चरण में ही 90 ग्रामीण युवाओं को रेडियो मेकेनिक, बिजली मेकेनिक, मोटर मेकेनिक, वेल्डिंग, होजरी, बढ़ईगिरी, राजगिरी, लुहारगिरी और चर्म कार्य आदि में 6 महीने का प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के बाद इन युवाओं में से 20 ने बिना बैंक ऋण अथवा अनुदान सहायता के अपने काम-धंधे शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इनके पास पहले से ही कुछ औजार आदि उपलब्ध थे तथा प्रशिक्षण से उन्होंने अपने व्यवसाय में और अधिक दक्षता प्राप्त कर ली।

46 प्रशिक्षणार्थी युवकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से आसान शर्तों पर कुल 1 लाख 2 हजार रु० के ऋण तथा लघु कृषक विकास परियोजना के अन्तर्गत 51 हजार रु० के अनुदान दिलाए गए और इस प्रकार उन्हें अपने काम धंधों में जमाया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक व्यवसाय के लिए बैंक ऋण और अनुदान की राशि 3 से 5 हजार रु० के बीच निर्धारित की गई ताकि लाभार्थी पर बैंक ऋण का अनावश्यक बोझ न पड़े। प्रशिक्षणार्थियों को उनके व्यवसायों में लगाने

के लिए आधुनिक औजार, कच्चा माल, शेड के लिए जमीन और बिजली कनेक्शन भी दिलाए गए।

योजना के आगामी चरण में प्रशिक्षण कार्यक्रम में मोमबत्ती, साबुन, दियासलाई आदि बनाना सिखाना भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के अनुभव से पाया गया कि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षणकाल में ही ऋण और अनुदान के जरिये औजार आदि मुहैया कराना अधिक उचित तथा लाभकारी है। इस जिले में कार्यरत सभी बैंकों ने इन प्रशिक्षणार्थियों को एक तिहाई या दो तिहाई प्रशिक्षण पूरा करने पर परियोजना अधिकारी की सिफारिश पर ऋण देना स्वीकार कर लिया है।

इस योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए मूल कठिनाई प्रशिक्षण देना या ऋण अथवा अनुदान उपलब्ध कराना नहीं अपितु प्रशिक्षण प्राप्त युवकों को उनके व्यवसाय में जमाना तथा उनके लिए हाट-व्यवस्था कराना है। बिजली कनेक्शन दिलाना, सड़क के किनारे शेड बनवाने के लिए जमीन उपलब्ध कराना आदि छोटी-छोटी कठिनाइयां भी सामने आती हैं, जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रायः ऐसी बाधाओं के परिणामस्वरूप ग्रामीण युवक, जो पहले ही गरीबी की रेखा से बहुत नीचे हैं, हतोत्साह होकर प्रशिक्षण के लिए आगे नहीं आते। अतः योजना के सफल कार्यान्वियन के लिए हाट सुविधाएं जुटाना अत्यन्त आवश्यक है। □

ग्रामीण युवतियां सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

रेडियो मेकेनिक का प्रशिक्षण प्राप्त युवक। इसकी दैनिक आमदनी अब 8 से 10 रु० है।

कुरुक्षेत्र की वर्तमान दरें

एक प्रति : 1 रुपया
वार्षिक : 10 रु०
दो वर्ष : 18 रु०
तीन वर्ष : 25 रु०

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

भविष्य के प्रति आश्वस्त

RN 708 57
P&T Regd. No. DHI/98
Licensed Under ...